

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule

SHRI A. K. SEN: Sir, I move:

"That at page 10, after line 23, the following be inserted, namely: —

'196A 1927 The Indian Church Act, 1927 (17 and 18 Geo. 5 c. 40).'"

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Schedule, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule, as amended, was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI A. K. SEN: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

**THE DOWRY PROHIBITION BILL,
1959—continued**

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, many of the hon. Members here would have forgotten that the Dowry Prohibition Bill is on the anvil of this House except those who might have performed the marriage in-between of their daughters or sons. The question of dowry seems to have been lost in almost all our minds except those who have been reminded of it just a day before ...

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): Not by all . . .

SHRIMATI YASHODA REDDY: I am sorry, there may be honourable exceptions like Mr. Akbar Ali Khan but many have completely forgotten that the Dowry Prohibition Bill was here and I had been part heard. This Bill has come to us after being passed by the Lok Sabha and they have amended it with regard to 2 or 3 clauses. The most important of it, as I was saying in my last speech, referred to clause 4.

THE MINISTER OF LAW (SHRI A. K. SEN): May I remind the hon. Lady Member that it has not been sent or returned by the Lok Sabha as passed but it came once before with the same amendments? Then the Rajya Sabha made certain amendments to that. Those amendments went back to the Lok Sabha and they have refused to accept them and it has therefore come back again here.

SHRIMATI YASHODA REDDY: I am not denying it. After we passed it, the Lok Sabha sent it back with some amendments and it has come back. I stand corrected. But in the Bill as it has come to us now, there are three important amendments of which I would like to deal first with clause 4 which has been reinstated in the other House, and very correctly so, though many of our Members here have said that clause 4 should be deleted. I will deal with clause 2 and the Explanation later. When I deal with clause 4 and when I went through the speeches of hon. Members, one thing struck me that there was one objection to clause 4. Clause 4 makes provision for penalty for demanding of the dowry, not for taking or giving but even for demanding. And many hon. Members object to this being introduced here mainly for one reason, namely, that it would lead to harassment. This word "harassment" seems to have harassed many hon. Members of this House, so much so that they have been speaking of reasonable harassment, inevitable harassment, imaginary harassment and

so on, and so many arguments have been put forward. It was said that xmeducated people, people in the villages, would be harassed unnecessarily. Sir, if I may put it in' that way, I may say that this Bill and this clause in particular will relieve women in India of the harassment which they have been having for all these centuries, women in particular and fathers of daughters who have to be married.

Sum P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Compulsory marriages?

SHRIMATI YASHODA REDDY: I could not hear the hon. Member. I .may not get them married. Marriage is not in my hands, nor are they in the hands of my hon. friend, Shri Sapru. Sir, last time also the hon. Member, Shri Sapru—you will excuse me Sir, for referring to it for a moment—said that if not for any other thing, we must oppose the suggestion <of the Lok Sabha, at least for this one reason, that we were a House of Elders that we were wise' people. That is to say, it is a question of prestige. "Whether an amendment is good or bad. ■whether it is reasonable or unreasonable, is not the point, but it is not to be accepted. Is that an argument to be put forward by an hon. Member like Shri Sapru? When I said that they were not good arguments, my hon. friend was enough to say, "This young lady is developing wisdom." I may also submit, Sir, that grey matter and grey hairs do not necessarily go together.

Now—to come back to clause 4—it is said there will be harassment if the •demand of dowry is punishable. But how to prevent the taking of dowry? The demand of dowry is the essence of the thing. Without the demand, where is the taking of it? We all know that wherever there is social legislation, there is always some harassment. Then are we going to say that all these social legislations should be thrown overboard for ever because there is harassment? Of course, harassment will be there. In the case of income-tax, the rich man feels that

! it is a harassment. If you limit liberty,
I it is harassment to some. Are we
j going to do away with all this because
there is harassment complained of?

SHRI P. N. SAPRU: You will bring forward a Bill for compulsory sterilisation. Why not for compulsory marriages also?

SHRIMATI YASHODA REDDY: What I will do or will not do when I become a Minister or something else is a different matter. Now I am speaking on this Bill and I do not want to waste my time in trying to argue with Shri Sapru, though I have great respect for him.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): He has a judicial mind.

SHRIMATI YASHODA REDDY: He has a judicial mind and I am also developing a judicial brain. This clause, I feel, is going to be the main insurance against any misuse of the provisions of this measure. I feel that this clause 4 which has been rightly inserted by the Lok Sabha is going to stand there as a kind of insurance against the misuse of this Bill.

Sir, any Bill that we pass should have three aspects. There are three specific things. The measures should be preventive, they should be punitive and they should be deterrent. The first two are important and the third is even more important because in a social legislation unless there is something deterrent, it will not be implemented. The drawback in all our social legislations has been* that their implementation has been so indifferent. In this clause the demanding of dowry has been made penal. The person demanding dowry has been made punishable with imprisonment for six months or fine up to Rs. 5,000 and this is going to deter many people from demanding dowry either directly or indirectly.

Another argument put forward by hon. Members is that undue advantage will be taken of it. But I submit undue advantage is likely to be taken by some people whatever law

[Shrimati Yashoda Reddy, J may be passed. However intelligent Parliament may be, there are cleverer people outside and cleverer advocates are also there to circumvent the law.

Another argument which does not hold water and which is put forward by hon. Members like Shri Sapru is that we will be throwing open the door to blackmail by inserting this clause here. I do not see how by inserting this clause we will be throwing open the door to blackmail. If there is blackmail, what are the courts there for on which we spend so much money and where we have the best men appointed as judges and advocates? Just because there is a complaint, judgment will not be delivered without going into the question of blackmail. Evidence will be taken and witnesses will be examined. If courts are going to determine cases just because of a complaint, then they are not worth their name.

Another hon. Member asked: "Are you going to make marriages happy by legal sanction?" I think Mr. Sapru also asked, "Are you going to purify all these marriages by this Bill?" Well, I do not think by legal sanctions marriages can be made happy. No reasonable person will expect that; but I would like to say this much here. In India, let marriages not be tarnished by money motives. Let not monetary motives be the guiding principle in these marriages. As you know, Sir, all social legislation is in the nature of a bold adventure. I know there are hon. Members who say that social education has been most ineffective. But whatever it is, we should take a step forward somewhere. Parliament should not only reflect the public opinion, but it should also lead public opinion. We should here tell the people that such and such a thing is an evil, that the system of dowry is a social evil, that it is a bad thing. It is for us to lead the people so that they may get out of this evil. This evil should go, if not today, then tomorrow. Slowly—maybe after generations—that day will come. But some-

where we should take the first step and so I submit when we pass this Bill, let it be as strict as possible with as little loopholes as possible. Therefore, I congratulate the hon. Members of the other House. I am not one of those people who stand only on a question of prestige. Because I am in the Rajya Sabha, why should I say "No" to everything that is said by the Lok Sabha? And if we say "No" to whatever the Lok Sabha says, and if the Lok Sabha says "No" to everything that we say here, then where will we be? I do not know. We should not deal with a legislative measure in a retaliatory manner. We should be a little more parliamentary, a little more accommodating, when dealing with this measure and, therefore, I request hon. Members to accept the amendment of the Lok Sabha and restore clause 4.

The second important point is in clause 2. The Lok Sabha has removed the words "either directly or indirectly" occurring in line 9. The hon. Law Minister who was in charge of the Bill here accepted these words, and I do not know what considerations made him accept their deletion in the other House. While moving these amendments for consideration in this House, he said that it would not make any difference if the words remained there or not. If it is so, if they are not going to make any difference, then let these words remain there. There are so many ways of demanding dowries. When you have said that dowry should not be taken, then let us have the words "directly or indirectly". These words were inserted in this House after a very great deal of deliberation, and these words should be inserted again.

The third point relates to the Explanation. On this, there has been a great deal of difference of opinion. One of the Lady Members here, who is a great champion of feminism, Mrs. Seeta Parmanand, herself did not want it. Mr. Bhupesh Gupta often excels himself when party lines are not there, and on this subject he made-

a very good speech; it was one of his masterpieces, I should say. He said that this Explanation would nullify the whole object. My humble suggestion is that this would in no way affect the Bill. The first and most important principle behind dowry is that it is not a voluntary gift; it is not a gift. If you would kindly read the Explanation, this is what it says:

"For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties."

We are not going to prohibit the voluntary gift of any article by a father to his daughter. Any man can give his property to his son or daughter at any time but the question is only in regard to situations where money is demanded as a consideration for marriage. This does not really apply to rich people who have got a lot of money; in spite of legislation, they will give money to their sons and daughters. This Bill applies to the poor people, the middle and the lower middle classes where they have no money and where it is demanded as a consideration for the marriage of girls.

SHRI D. A. MIRZA (Madras): I want a clarification from the hon. Member. If a rich man offers a substantial amount of jewellery to his daughter, should that be considered as gift or dowry?

SHRI A. K. SEN: The facts have not been put properly, if I may say so with respect. A mere offer would not be penalised unless it is an offer in consideration of marriage and it is accepted as such by the other person. Mere offer is not Demised under the Act.

SHRI D. A. MIRZA: Suppose there is a secret understanding between the

two parties that the dowry given by the bride's father will be treated as a present, I want to know how this transaction will be treated. Will this be treated as dowry or as a present?

SHRI A. K. SEN: It will be dowry.

SHRI D. A. MIRZA: Then this means that we are indirectly encouraging dowry.

SHRIMATI YASHODA REDDY: Sir, the hon. Member who interrupted me just now usually gets confused when there is no confusion, but I thought in this respect, as a father of many daughters, he would understand, but I am sorry to say . . .

SHRI D. A. MIRZA: The hon. Member herself is confused.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Mirza, you can speak later on if you want. Do not interrupt.

SHRIMATI YASHODA REDDY: When a person listens to a speech, clarification will come but when a person goes on interrupting in between, then nothing will come.

If a father wants to give some property to his daughter, nobody is going to prevent it, but if it is part of a secret understanding between the bride's father and the bridegroom's father, if it is an indirect transaction, then naturally the courts would find out the facts. Every case has to be dealt with separately and the courts would come to a decision on each one of them on the facts.

(Interruption.)

SHRI D. A. MIRZA: Who will go to court?

SHRIMATI YASHODA REDDY: The father who is harassed, the bride who is harassed. If they are harassed, they will go. I am sorry Members do not understand it. If they come over to the Lobby, I shall make it plainer still. Let me proceed with

FShrimati Yashoda Reddy.] my argument now. The whole question is whether it was given voluntarily or whether it was given in consideration of marriage. There is difference between money given at the time of marriage in consideration of marriage and money given later on as a present, for example, a person marrying where money is. If there is a rich heiress, and if she is the only daughter, then people know very well that all this money would come to her one day. Her hand may be asked by anybody and there is nothing wrong in it. Money will come to him, but not as dowry. It is different from marrying for money. Here, he is marrying where money is. There are cases where people demand Rs. 10,000 or Rs. 20,000 because they are graduates. A man says, "I am a graduate and my exchange value is Rs. 25,000. I am an engineer and my value is Rs. 40,000." These are the rates prescribed. Hon. Members said that this Explanation would nullify the whole of the Act. I do not quite agree with this suggestion because the courts will determine as to whether money was given voluntarily or as consideration for marriage. My hon. friend here asked as to who would go to the court. Where women have been ill-treated, where they have not been taken back from their fathers' houses,—in those cases—they will not hesitate to, go to a court and give a complaint against the person or persons harassing them. I feel that this Explanation is quite necessary and it is not going to nullify the effects of this measure. On the other hand, it is going to make explicit as to what is a dowry and what is a present.

One word more, Sir, and I will have done. Mr. Pathak, an eminent lawyer and a constitutional expert, speaking on this Bill, said that we could not have this prohibition of dowry because this was in conflict with the fundamental right of a person to alienate his property. Nobody is saying that you should not alienate your property; nobody questions your right to acquire property. Even then, Sir,

the State may impose reasonable restrictions on these things. I maintain, Sir, that there is nothing to prevent the alienation of property. The important thing he said was that dowry had been recognised as a customary rite. Even in the Special Marriage Act, the customary forms of marriage have been recognised. He also said that dowry had been recognised as a customary rite, and he quoted a case law, 1954 Orissa, page 17—the Chief Justice's decision. In that, dowry has been defined as a customary rite, and he asked, "If, in the Special Marriage Act, customs have to be taken cognizance of, how can you today prohibit dowry?" With due respect to the hon. Member, . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can continue at 2-30 P.M.

The House stands adjourned till 2-30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

SHRIMATI YASHODA REDDY: Sir, I was just telling hon. Members that as far as the words "directly or indirectly" are concerned, they should be inserted in clause 2. And just now I have received a copy of the amendment proposed by some Members of the Opposition; anyway, I have already said that those words should be put in there as they were when we sent this Bill to the Lok Sabha.

One more thing that I would like to say before I sit down is with reference to Mr. Pathak's speech. This is what he said when dealing with this Bill last time here. I will just read out a few lines for the information of hon. Members:

"One of the points which deserve consideration is this. When section 7 of the Hindu Marriage Act says

that the marriage can be performed according to the customary rites and ceremonies, it payment of money or transfer of property in consideration of marriage is one of the customary rites which have to be performed in the case of certain marriages in the country—and there is a custom prevailing and the Hindu Marriage Act permits it—is it proper, without violating those marriages void

As for the decision of the Chief Justice of Orissa, he says that after due discussion they have come to the opinion that dowry is a part of a customary rite. So, as it is a customary rite and as we have giving permission, or rather as we have recognised customary forms of marriage as per section 7 of the Hindu Marriage Act, now to prohibit dowry which is a customary rite will be improper. My submission to the House in this connection is that even if there is a custom, the custom should always give place to enacted law. This is an accepted principle of jurisprudence. Moreover when my hon. friend was referring to this particular decision of the High Court, I do not think he placed before the House all that their Lordship said. They have also said there in the decision that the custom of receiving bride price is so well established throughout the country that it is too late in the day to invalidate a marriage on the ground of public policy nor can such a marriage be held to be immoral or illegal—and this is very important—in the absence of a statutory enactment prohibiting the custom expressly. This will show that the contention of Mr. Pathak does not hold any water. Moreover I do not think that giving of dowry is any part of a ritual or a customary rite; even if it is so, when we are enacting a special law saying that dowry is to be prohibited, this decision has no relevancy to this particular matter.

Sir, for the above reasons, I would like to place before the House that I welcome the inclusion of the words

'directly or indirectly' in clause 2 and also the retention of Explanation. I would also ask Members to reinstate clause 4 or uphold the reinstatement of clause 4 which Lok Sabha has done.

Sir, for a variety of reasons people want a joint session; some people want a joint session just for the fun of it; some others to uphold the prestige of this House so as not to say 'yes' to what the Lok Sabha has said. But on merits also we cannot agree to all the amendments made by the Lok Sabha though to a great extent they have been very correct in suggesting these two amendments. We will have to have a joint session in case the need arises and I hope the House will ask for it as we cannot in toto agree to all the amendments made by the Lok Sabha.

SHRI MAHESH SARAN (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, this measure is welcome because we know what difficulties the parents of the girls are facing these days. They have to sell their houses; sometimes they have to mortgage their property and sometimes they have to go practically on the streets in order to get their girls married. Therefore, it is necessary that some measure should be there which should put a stop to this practice of dowry. Now, there are different ways for getting dowry and we should be careful to see that all the doors through which this money goes must be closed. These were the considerations which led this House to make the amendments which have been rejected by the other House. I therefore, feel that so far as we are concerned it is necessary that those amendments should stand.

Now, the first amendment which has been thrown out by the other House is in respect of the definition of dowry. We said that "dowry" meant any property or valuable security given or agreed to be given, either directly or indirectly. I attach great value to the words "directly or indirectly" because there are so many ways that

[Shri Mahesh Saran] are now found out to get dowry and any way through which dowry comes in must be stopped. Therefore, it is necessary that dowry should be banned not only when directly given or asked for but also when we find that though it does not seem that any dowry has been taken but in reality it has been taken in an indirect manner. For example, during marriages people ask for first class railway fare for 200 people. This is not dowry at all; this can come under the head "expenses" but this is certainly another way of extracting money from the parents of the girl. Therefore, to stop these loopholes it is necessary that the words "directly or indirectly" should be there so that there may be no method by which dowry may be demanded.

So far as Explanation is concerned, I think it is absolutely necessary that this should go. Explanation I says:

"For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties."

Now, although the words "as consideration for the marriage of the said parties" are there, the very fact that these things are given will show that people who have not enough money with them will not easily agree to give these things unless forced to do so. There are certain things which are said to be part of the ritual; for example, the nose ring, the *tikka* saree and other things. Of course, these things are absolutely essential but they cost nothing. When we find in marriages that poor people make gifts of valuable ornaments, cash, clothes etc., it is absolutely clear that though it may be said that they have given these things of their own free

will, they are really in consideration of marriage. So, if we have this Explanation, the very basis on which we stand goes away. This will give a loophole for the bridegroom's parents, to get a lot of things in the form of cash, ornaments, clothes and other articles which generally the girl's parents would not give. But they will be compelled to give them, although they will not accept that it is in consideration of marriage. They may say that it is given out of sweet will. Now, we know all over the country how difficult the marriages of girls are becoming, girls of poor people, because they cannot afford to give all these things. Therefore, if we want that this law should really be effective, it is absolutely necessary that the Explanation should be removed.

Now, so far as clause 4 is concerned, I think this also should be omitted. Clause 4 says:

"If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both."

It is the giving of dowry and passing of money from the pocket of the parents of the girl which is really a troublesome job. If we keep this clause, then any Tom, Dick and Harry can get up and say that so much money was demanded, although no money has passed. It will be a case of great harassment to either party and, therefore I think that so far as clause 4 is concerned, it should be omitted.

I know that if we stick to the old form in which the Bill was sent to the other House, probably a joint session may be necessary, but as these changes are very essential and as the very purpose of this Bill will be frustrated, if we do not insist on these three

changes, I think it is our duty to adhere to the three suggestions made by this House.

श्रीमती चन्दावती लखनपाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, आज लोक सभा द्वारा किये गये कुछ संशोधन हमारे सम्मुख विचार के लिये प्रस्तुत हैं। प्रश्न यह है कि हम उन संशोधनों पर किस दृष्टि से विचार करेंगे ? कुछ महीने हुए हमने इस बिल के अंदर कुछ परिवर्तन करके लोक सभा को भेजा था। लोक सभा ने हमारे किए हुए परिवर्तनों को नहीं माना, नामंजूर कर दिया। और इसलिये हम भी उनके किये हुए जो परिवर्तन हैं उनको नामंजूर कर देंगे, यह हमारा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। कोई बदले की भावना या प्रेस्टीज या शान की भावना...

श्री किशोरी राम (बिहार) : हमने तो मनासिब परिवर्तन उनको भेजे हुए थे।

श्रीमती चन्दावती लखनपाल : हमारे विचारों का आधार नहीं होना चाहिये। तो फिर इन संशोधनों की नापताल की कमीटी, क्या होगी ? मुझे तो एक ही कमीटी उचित दिखायी देती है और वह यह कि आखिर, श्रीमन्, हर एक विधेयक, हर एक कानून, समाज की किसी समस्या को, किसी प्राबल्य को हल करने के लिये लाया जाता है। इसलिये जो दहेज की समस्या हमारे सामने है उसको हल करने में लोक सभा के भेजे हुए जो संशोधन मदद करते हैं उनको तो हम मान लें लेकिन जो संशोधन या जो प्रस्ताव उस समस्या को हल करने में रोड़ा अटकते हैं, बाधा डालते हैं उनको हम हरगिज नहीं मान सकते। इसके अलावा क्योंकि ये प्रस्ताव लोक सभा से आए हैं इसलिये हम इनको मान लें, या जोइन्ट सेशन होगा उस कठिनाई से सरकार को बचाने के लिये हम उन संशोधनों को मान लें। इस प्रकार का दृष्टिकोण भी कुछ जंचता नहीं। तो मैंने आपके सामने निवेदन किया कि हमारा असली मापदंड इन संशोधनों को

देखने का तो केवल यही होना चाहिये कि जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिये, जिस प्रश्न को हल करने के लिये, यह विधेयक लाया गया है उसको वे संशोधन, वे अमेन्डमेंट्स कहाँ तक पूरा करते हैं। इस पृष्ठभूमि में अगर हम लोक सभा के संशोधनों को देखते हैं तो जहाँ पर एक्सप्लेनशन के बारे में जो पहला संशोधन रखा है उससे मुझे यह लगता है कि एक्सप्लेनशन अगर इस बिल के अंदर रहता है तो यह बिल किसी भी प्रकार से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। अर्थात् दहेज की जो समस्या है उसको यह विधेयक हल नहीं कर सकता। समस्या क्या है ? हमारे सामने जो समस्या है, श्रीमन्, वह दहेज की समस्या है और यह समस्या आज सभी लोगों के लिये है। सिर्फ कुछ थोड़ा सा धनिक वर्ग जो है, एक रिच नबका जो है सोसाइटी का, उनके लिये तो दहेज की समस्या नहीं है, उनके पास काफी रुपया है और वे खूब अपने रुपये का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसका लैविश डिस्प्ले करना चाहते हैं—शादी के वक्त ज्वेलरी देकर, डहर डहर की चीजें देकर, कार देकर, रेडियो देकर, रेफ्रिजरेटर देकर। तो उनके लिये यह जो दहेज की परिभाषा दी हुई है उसके बावजूद भी वे दे सकते हैं। लेकिन समस्या जो इस वक्त हमारे सामने है वह है मिडल क्लास के लोगों की। श्रीमन्, आज हालत क्या है ? आज हालत यह है कि जहाँ हमने यह आशा की थी कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज की प्रथा भी खत्म होनी जायेगी वहाँ हालत यह है कि शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे दहेज की प्रथा ज्यादा भयंकर रूप धारण करती जाती है, नाए नाए रूप धारण करती है। जैसे जैसे लड़के की ज्यादा एजुकेशन होती जाती है वैसे वैसे उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है। आर्ड० ए० एम० के लिये दहेज ज्यादा होगा, एम० एम० सी० का उससे कम होगा और बी० ए० का उससे कम होगा। तो इस प्रकार शिक्षा के साथ दहेज की प्रथा और भयंकर रूप धारण करती जा रही है, समस्या और भी जटिल होती जा रही है।

ڈاکٹر راج بہادر گوز (آندھرا
پردیش): نوکر ہے نہ اور بھی زیادہ -

† [डा० राजबहादुर गोड़ (आंध्र प्रदेश) : नौकर है तो और भी ज्यादा ।]

श्रीमती चन्दावती लखपाल : हाँ, नौकर है तो और भी ज्यादा । इसलिये हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि किस प्रकार इस मिडल क्लास को, जिनके लिये दहेज की एक समस्या बनी हुई है उनको, संरक्षण दिया जाय, उनकी सहायता की जाय, उनकी समस्या को हल किया जाय । तो एक्सप्लेनेशन जब हम इसमें लगाते हैं तो उसके क्या मानी होते हैं । श्रीमन्, उसके यह मानी होते हैं कि दहेज के बक्त जो प्रेजेन्ट्स दी जायेंगी उसमें ज्वेलरी भी दी जा सकती है, रुपया भी दिया जा सकता है, कपड़े भी दिये जा सकते हैं । इसके मानी यह हैं कि हमारी ज्यादा चिन्ता उन लोगों के प्रति है जो अमीर हैं । मैं शायद आपको अपना आशय पूरी तौर से नहीं समझा पा रही । मेरा मतलब है हम चाहते तो हैं कि इस कानून द्वारा मिडल क्लास को संरक्षण मिले, जिसके लिये दहेज एक समस्या बनी हुई है और उसकी वजह से मिडल क्लास के लोग काफी मताये जा रहे हैं, पीड़ित हैं, सफर कर रहे हैं । जो रिच अपर क्लास है उसके लिये तो कोई प्राब्लम है ही नहीं । लेकिन एक्सप्लेनेशन से क्या होगा ? एक्सप्लेनेशन का मतलब यह होगा कि आम असर जो जनता पर पड़ेगा, लोगों पर जो आम असर पड़ेगा वह यह कि दहेज में सब कुछ दिया जा सकता है । रुपया भी दिया जा सकता है, ज्वेलरी और कपड़ा भी दिया जा सकता है—अच्छी तरह से दिया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यह एक्सप्लेनेशन रहता है तब यह बिल बेकार हो जाता है । चूंकि इस समय समाज के अन्दर दहेज देने की जो प्रवृत्ति है इसलिए दहेज देना कोई बुराई नहीं समझा जा रहा है, एक

प्रतिष्ठा की बात समझी जा रही है, यह स्टेटस को बढ़ाने वाली चीज मानी जा रही है । समाज के अंदर जो यह मनोवृत्ति काम कर रही है, उस मनोवृत्ति को देखते हुए इस कानून को सख्त से सख्त बनाना चाहिये । एक जबरदस्त चोट लोगों के कान्सेन्स को एंटेक करने के लिए हमें इस कानून द्वारा डालनी पड़ेगी । तब उनमें जागृति पैदा होगी । क्योंकि इस बक्त जो हाजत है वह यह है कि हर एक आदमी न दहेज देना बुरा मानता है, न दहेज लेना बुरा मानता है और यह समझा जाता है कि यह प्रतिष्ठा की बात है, प्रेस्टीज की बात है, शान की बात है । यदि शादियों में दहेज कम दिया जाता है या बिल्कुल नहीं दिया जाता है तो वह नीचे दर्जे की बात मानी जाती है ।

श्री जशोदर सिंह बिष्ट (उत्तर प्रदेश) :
आप इस बात को साफ करें ।

श्रीमती चन्दावती लखपाल : वालंटियरली, खुशी से देना, श्रीमन्, श्री बिष्ट कहते हैं कि इस बात को साफ करो । मैं क्या साफ करूं ? यह कानून की जो डेफिनिशन है वह अपने आप साफ कर रही है ।

श्री जशोदर सिंह बिष्ट : ला मिनिस्टर ने भी उस समय कहा था कि अगर एक्सप्लेनेशन चला भी जाता है तब भी उससे कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्रीमती चन्दावती लखपाल : अगर एक्सप्लेनेशन चला भी जाता है तब भी हमारी दहेज की परिभाषा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता । हमारी जो डेफिनिशन है वह काफी सेल्फ सफिशियन्ट है और उसके अन्दर वालंटियरी गिफ्ट प्रेम से दिया जा सकता है, जिस रीज में मजबूरी नहीं होती है वह दिया जा सकता है ।

श्री जशोदर सिंह बिष्ट : पोंडन्ट यह है कि डिस्प्ले कम्पलसरी में भी होगा, वालंटियरी में भी होगा ।

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : इसप्ले बिल्कुल बैन होना चाहिये । मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अगर इस कानून द्वारा एक्सप्लेनेशन को हटा लिया जाता है तो जो साइकालाजिकल बन्धन है, वह जो अमीर तबका है उसके ऊपर भी बना रहेगा । वह लैविश इसप्ले शादी के वक्त नहीं कर सकेगा । आपको यह जानना चाहिये ज. कोई आदमी शादी के वक्त खुशी से भी देना है और बहुत ज्यादा देना है तो वह समाज के सामने एक बुरा आदर्श पेश करता है ।

श्री जगदीशकिंह बिष्ट : क्या आपने इस वास्ते अमेडमेट दिया है ?

श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल : Lavish display of riches and jewellery should be banned. अगर आप इस डेफिनिशन को कानून में से निकाल देते हैं तो हमारा उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो सकता है क्योंकि इस वक्त जो वालण्टियरी प्रेजेण्ट्स आउट आफ अफेक्शन दिये जाते हैं, वे दिये जा सकते हैं और वह भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आजकल की समाज की परिस्थिति को देखते हुए अगर एक्सप्लेनेशन रहता है तो इस कानून का सारा मतलब खत्म हो जाता है और यह कानून निकम्मा और बेजान हो जाता है क्योंकि इसका समाज पर साइकालाजिकल असर गलत पड़ता है । इस चीज द्वारा जनता में वातावरण पर मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल गलत असर पड़ता है जो कि हम डालना नहीं चाहते हैं । जो लोग दहेज देना चाहते हैं उन लोगों को इसके द्वारा एक बहाना मिल जाता है । जैसा कि मैंने बतलाया कि समाज में आज मनोवृत्ति पाई जाती है कि अधिकांश लोग डावरी देते हैं, यदि मन से नहीं देना चाहते हैं तो मजबूरी से देते हैं, शर्म से देते हैं, इज्जत बचाने के लिये देते हैं, विरादरी के डर से देते हैं । और जो डावरी देने वाला होता है वह भी जरूर लेता है ।

तो ऐसी हालत में हमारा कानून ऐसा होना चाहिये कि उसकी एक-एक धारा, एक-एक पंक्ति और पंक्ति का एक-एक अक्षर ऐसा होना चाहिये कि जिससे दहेज के विरुद्ध वातावरण पैदा हो और लोगों को दहेज देने के लिये प्रोत्साहन न मिले ।

श्रीमन्, बहुत सोच विचार के बाद मेरे ख्याल में श्रीमती यशोदा रेड्डी को छोड़ कर— मेरे ख्याल में वे तो एक एक्सेप्शन हैं— तमाम बहिनें यह सोचती हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं रहना चाहिये । मैं जहां तक समझती हूँ कि लोक सभा की जितनी बहिनें हैं और राज्य सभा की अधिकांश बहिनें इस मत की हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं रहना चाहिये । श्रीमन्, मैं आपको बतलाना चाहती हूँ कि इस विधेयक पर सबसे अधिक महत्व स्त्रियों के मत को देना चाहिये । यह खुशी की बात है कि हमारे भाई अधिकांश संख्या में हमारे साथ हैं । दहेज से जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वह स्त्री जाति ही है । स्त्री जाति को ही सबसे ज्यादा इस चीज से सफर करना पड़ता है । यह बात ठीक है कि जो लड़कियों के माँ-बाप होते हैं उन्हें भी सफर करना पड़ता है लेकिन सबसे ज्यादा सफरिंग स्त्री जाति को ही करनी पड़ती है । मेरे ख्याल में हम स्त्रियों का जो मत है उसको यह सदन जरूर महत्व देगा ।

दूसरा संशोधन डिमाण्ड के सम्बन्ध में है और वह भी हमारे सामने विचार के लिये आया है । श्रीमन्, जैसा कि मैंने आप से कहा कि हमें लोक सभा के सारे संशोधन के ऊपर विचार करना है और नापतोल करके उन्हें या तो स्वीकार करना है या रिजैक्ट करना है । जहां तक डिमाण्ड का प्रश्न है, मैं समझती हूँ कि हमारे सदन में जब डिमाण्ड का प्रश्न आया था तो श्री राजगोपाल नायडू ने एक प्रस्ताव रखा था उसे डिलीट करने के लिये । उस वक्त उन्होंने अपनी यह दलील पेश की थी कि इसके द्वारा हँरेसमेंट होगा । उसकी मुख्य दलील यह थी कि इसके द्वारा हँरेसमेंट होगा और डिमाण्ड करने वाले को पीनेलाइज्ड

[श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल]

नहीं करना चाहिये मैं यह कहना चाहती हूँ और जैसा कि सदन में कहा गया है, कि किसी भी कानून को मिसयूज करने से हैरेसमेंट हो सकता है। यह बात हर एक कानून पर लागू होती है। सिर्फ इसी कानून पर नहीं होती। अखिर अदालत में कानून का फैसला होता है, अदालत में विचार होता है और अदालत इस बात को देख सकती है कि हैरेसमेंट होता है या नहीं। हर एक कानून का मिसयूज हो सकता है और हैरेसमेंट हर एक कानून द्वारा हो सकता है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूँ और जैसा कि मैंने बतलाया है कि समाज के अन्दर दहेज की डिमाण्ड एक आर्गनाइज्ड रूप में चल रही है। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि आज हमारे समाज के अन्दर मेरिज मार्केट में ब्रोकरों के आर्गनाइजेशन बने हुए हैं। वे लड़कियों के माता-पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप किस तरह की शादी करना चाहते हैं। क्या एक हजार, दो हजार, तीन हजार, पांच हजार या दस हजार की शादी करना चाहते हैं? जिस तरह की शादी करना चाहते हैं आप हमें बतला दें। इन आर्गनाइजेशन वालों के पास लड़कों और लड़कियों की लिस्ट रहती है और वे एक तरह से लड़की और लड़के वालों के बीच में लिंक का काम करते हैं। तो आज हमारे सोसाइटी के अन्दर एक बड़ा आर्गनाइजेशन व्यवस्थित रूप में डावरी की मांग के लिये खड़ा किया हुआ है। इसलिये डिमाण्ड को हमें खत्म करना है।

श्रीमन्, अगर इस कानून द्वारा दहेज देने वालों के ऊपर थोड़ी सख्ती भी होती है तो कोई परवाह की बात नहीं, सख्ती बेशक हो जाय। लेकिन उन पर ज्यादाती नहीं होनी चाहिये जो दहेज नहीं दे सकते हैं और जो दहेज देने के लिये समाज और परिस्थितियों द्वारा मजबूर किये जाते हैं। तो मैं आप से यह कहना चाहती हूँ कि जब आप दहेज देने और लेने वाले को पीनेलाइज कर रहे हैं तो

डिमाण्ड करने वाले को भी पीनेलाइज करना चाहिये। डिमाण्ड तो सबसे पहला स्टेप है। बुराई तो पहले डिमाण्ड से ही शुरू होती है। यह सबसे पहला स्टेप है। इसलिये हम को किसी बुराई को उसके प्रारम्भ में ही खत्म कर देना चाहिये। डिमाण्ड भी एक बुराई है और उसको मानने से कोई इंकार नहीं कर सकता है। इसलिये मेरा कहना है कि डिमाण्ड करने वाले को पीनेलाइज किया जाना चाहिये।

श्रीमन्, ये कुछ थोड़े से शब्द हैं जो मैंने आपके सामने रखे और मुझे आशा है कि हमारा पूरा सदन और हमारे भाई हमारा साथ देंगे। इस तरह से इस कानून को जितना ज्यादा इफेक्टिव, कारगर बनाया जा सके उतना बनाया जाना चाहिये। दहेज के खिलाफ जो यह बिल लाया जा रहा है, वह बहुत दिनों के बाद लाया जा रहा है और समाज के लिये बहुत आवश्यक समझ करके लाया जा रहा है। इस मांग को पूरा करना इतने विधेयक का फर्ज है। अगर इस विधेयक को इतना ढीला-ढाला बना देते हैं कि इसके पास होने के बाद भी दहेज की प्रथा बनी रहती है तो इस प्रकार के विधेयक लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो श्रीमन्, मैं आप से विनम्र शब्दों में यह कहना चाहती हूँ कि इन दो संशोधनों को जिस प्रकार मैंने आपके सामने रखा उसी प्रकार सदन पास करे। लोक सभा का जो डिमाण्ड का संशोधन है उसको हम मान लेंगे और जो एक्सप्लेनेशन का संशोधन है उसको रिजेक्ट कर देंगे।

3 P.M.

श्री गोपीकृष्ण जिज्जवर्गी (मध्य प्रदेश):
उपसभापति महोदय, यह बहुत ही दिलचस्प विषय है और सभी लोग इसमें इंटरस्टेड हैं। हिन्दुस्तान में यह एक बहुत बड़ी समस्या है और शादी इतनी महंगी हो गई है कि लोग उससे परेशान हैं। हम लोगों ने यहां बहुत से सामाजिक कानून पास किये हैं, लेकिन यह

बहुत जरूरी कानून हम अभी तक नहीं लाये थे। दहेज प्रथा के सम्बन्ध में यह कानून हमारे सामने आया है। इसका सभी स्वागत करते हैं, सारा देश स्वागत करता है।

दहेज प्रथा खराब है, इस विषय में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिये यह कानून लाया गया है। दहेज प्रथा से माता-पिता वास्तव में बहुत ही कष्ट में पड़े हुये हैं। इसलिये इस दुराई को हमें दूर करना ही चाहिये। हम लोग किस तरह से कुटीतियों में फंसे हुये हैं, उसका यह एक नमूना है। एक तरह से मनुष्य खुद की बनाई हुई बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इसलिए इस बेड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है।

जो यहाँ कहा गया कि हमें लोक सभा का केवल विरोध नहीं करना है, उससे मैं सहमत हूँ। सिर्फ इसलिये कि यह लोक सभा से आया है, हम प्रेयटीज के सवाल पर खड़े हो जायें, यह मुनासिब नहीं है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो त्रिकुल फार्मल हैं। एक तो सन् बदलने की जो बात है कि १९५६ के स्थान पर १९६० कर दिया जाय, वह लाजिमी है और हम को उसे मानना ही चाहिये। दूसरे इसमें “डाइ-रेक्टली आर इंडाइरेक्टली” का जो संशोधन किया गया है, वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इसमें जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, उससे भी कोई खास मकसद सिद्ध नहीं होता है। लोक सभा की इस बात को भी हमें मान लेना चाहिये। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि यह जो इसका क्लॉज ४ है, उस पर हमें इंसिस्ट करना चाहिये। हमें इस संशोधन को तस्लीम नहीं करना चाहिये। डाउरी की मांग करना एक गुनाह है और इस गुनाह को हमें दंडनीय मानना चाहिये। असली बीमारी तो यही है। वैसे ही लूथरोल्स का सहारा लेकर लोग कह सकते हैं कि जो हम दे रहे हैं वह कन्सिडरेशन आफ मैरिज के रूप में नहीं है बल्कि उपहार के रूप में है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी पिछली वक्ता बहन ने बतलाया कि शादियां

688 RS—6.

कराने में कुछ दलालों का भी हाथ होता है। मैं ला मिनिस्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा क्लॉज बढ़ाया जाना चाहिये जिससे जो बीच वाले लोग हैं उनको भी कुछ सजा दी जा सके। तो यह जो डिमाण्ड करने की बात है जब तक इसको आप बन्द नहीं करेंगे तब तक दहेज की प्रथा बन्द होने वाला नहीं है और यह कानून अमल में नहीं आयेगा। इसलिये अगर कानून को जोरदार और ताकतवर बनाना है तो डिमांडिंग डाउरी को हमें जरूर ही दण्डनीय अपराध रखना चाहिये। इस तरह से मेरा यह कहना है कि लोक सभा की अधिकांश बातें मानने योग्य हैं, लेकिन क्लॉज ४ में हमें इंसिस्ट करना चाहिये कि हमारा राज्य सभा का संशोधन कायम रहे। इस मामले में लोक सभा की बात मानने की जरूरत नहीं है। यह मुनासिब बात है। अगर संयुक्त सेशन अपने आप होता है तो हो। हमें इसकी कोई खुशी नहीं है कि हम लोक सभा से झगड़ा करें। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन मजबूरन होता ही है तो जो कुछ वहाँ सर्वसम्मति से तय होगा उसी के अनुसार कानून बन जायगा। इसलिये मैं दफा ४ रखने के बारे में सहमत हूँ। बाकी और लोक सभा के संशोधन हमें मान लेने चाहियें।

SHRI NAFISUL HASAN (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, although I am in entire agreement with the objects of this Bill and I am second to none in seeing that this system of dowry should go from our society, I am not optimistic about the success of this measure. In particular, I feel that in its application, it will fail to achieve the object for which it is being made. Whether the particular amount of money is paid as dowry in consideration of the marriage, will depend mostly on the evidence of the parents of the girl. The parents of the girl who get her married to a young man will be the last persons to come forward and give evidence to that effect in the court.

[Shri Nafisul Hasan.] On the other hand, it will be open to any person who is inimical to the father of the girl to come forward and make allegations that he has paid dowry in connection with the marriage of that girl. In short, I feel that this measure may lead to a crop of litigation without in any way helping to abolish this dowry system which it is our intention to abolish. But I think that at the present moment we are only to consider the three amendments which we made in this Bill and which the other House has been unable to accept. The first amendment of ours with which they did not agree is the one in clause 2 which gives the definition of dowry, in which we had said:

"that at page 1, at the end of line 9, after the word 'given' the words 'either directly or indirectly' be inserted;".

Before I take up this or any other amendment, I may also point out that we should not in any way be influenced, in considering these amendments, by considerations of our prestige; we have once made these amendments and the other House has not agreed to them and, therefore, we must not agree—I think that should be the last attitude which we should adopt. After all, the Members of the Lok Sabha and the Members of this House are the representatives of the people. If a particular measure is going to benefit the people, I have no doubt in my mind that we shall ultimately agree to that. If our insisting on any of these amendments results in a joint session, I think we ought to welcome it because when we sit together, we can have our say; they will have their own say. Either we agree with them or they agree with us. There is no question of prestige. Therefore, I should submit that our attitude should be that we should consider every amendment on its own merit.

The first amendment, as I have said, is with regard to the retention—I

should now say addition—of the words 'directly or indirectly' to the Bill as it was originally passed by the Lok Sabha. I have no doubt in my mind that, since there are various means by which the objects of the Bill may be defeated, and it may be that an indirect method may be adopted and the dowry may be paid, I feel that the retention of these words is necessary, and we should insist on this amendment. Another reason why I submit so is this. Once we suggested this amendment, and if it goes away, and the courts are required to interpret this particular provision of this Bill when it becomes an Act, it will be very difficult for the courts to hold a particular dowry being paid in consideration of the marriage, if the payment is not direct, because once the words were added and subsequently they were thrown out by the Parliament it will be only the direct payment of dowry in a marriage that will be held to be an offence, and in its interpretation "dowry" will exclude indirect payment.

Our second amendment was with regard to the deletion of the Explanation I. Apart from the fact that payment of dowry may take the shape of presents, there is one other point which I shall submit is also to be taken into consideration. Among the Muslims everybody knows that the proposal goes from the parents of the boy to the parents of the girl, and not the other way, and although there is no *karardad* or settlement of dowry normally, I have come across the practice that whatever is given as dowry or presents, an exhibition is made of it, and to my mind, that is very objectionable. A person who is rich makes an exhibition of what he is giving to his daughter, and he gets what I should say: "*Wah, wah*", and "*Khub kia*" for it normally. That is the approach. And his brother, who unfortunately happens to be poor, tries to copy him with the result that, because he cannot afford to give the same things and of high value to his daughter, he has to mortgage his house and to sell his other property

in order that he may not be looked down in society.

SHRI AKBAR ALI KHAN: But there are regular demands also in the sister communities.

SHRI NAFISUL HASAN: It may be, but I have not come across a large number of cases in that respect. Anyway, apart from the fact that this payment may take the form of presents—it may take the form of money, ornaments, etc., as contained in the Explanation—and is objectionable, even the exhibition of that is not, in my opinion, good for our society. Therefore, I am of opinion that we should insist that this Explanation should also go, and when we insist on the retention of the words, "either directly or indirectly", this Explanation can have no meaning whatsoever. If we take out the words "either directly or indirectly", and allow this Explanation to remain, it will be very easy to carry on with dowry, and though it may be in the form of money, it may be called to be only presents. So our stand will be inconsistent if we insisted on the first amendment for keeping the words, "either directly or indirectly", and agreed to the retention of this Explanation I in clause 2.

As far as clause 4 is concerned, to my mind there will be no harm if we now agree to its retention, and my reason is that, actually, it is the demand for dowry which is most objectionable. Probably, we suggested the deletion of clause 4 because we thought that it may lead to unnecessary litigation. A person, the father of a boy, if he does not agree to marry his boy to another person's daughter, the daughter's father may go to court and make a false charge that he was demanding dowry from him, and therefore it was thought that this clause should go. For the matter of that, as I have said, the other provisions of the Bill are also open to that objection. It will be a matter of evidence of course, which the courts will decide. Their task will not be

easy and it will be a very difficult one, but as we are going to pass the Bill in the present form, I think there will be no harm if we agreed to the retention of clause 4.

With these observations, Sir, I thank you for the opportunity you gave me.

श्रीमती कृष्णा कुमारी (मध्य प्रदेश) :

उपसभापति महोदय, आज हमारे सदन में डाउरी बिल पेश है। मैंने बहुत से आदमियों के भाषण सुने और इसको देखा, समझा। मेरी समझ में नहीं आता है कि डाउरी के नाम पर क्यों कोई संख्या रखी जाय। संख्या का रखना ही हानिकारक है अगर हम थोड़ी सी थोड़ी संख्या भी रखते हैं तो उसके अन्दर बहुत सी मांगें पेश हो जाती हैं जो कि एक आदमी नहीं दे पाता है। जब आदमी उसकी पूर्ति नहीं कर पाता तो लड़कियों का जीवन महाकष्टमय और दुःख हो जाता है। इसलिये मैं चाहती हूँ कि डाउरी बिल में कोई भी संख्या नहीं रखी जाय। दो, चार मिसालें ऐसी हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष रख सकती हूँ। कहा जाता है कि लड़के और लड़कियाँ पढ़ी लिखी हों, आपस में पसन्द करे और शादी करे तो डाउरी नहीं देनी पड़ती। मैं तो कहती हूँ कि लड़की की शिक्षा में भी उतना ही खर्च होता है जितना कि लड़के की शिक्षा पर होता है लेकिन जब उन लड़कियों के लिये पढ़ा-लिखा लड़का खोजने चलते हैं तो लड़के के माता-पिता इतनी कड़ी मांग रखते हैं कि मुन कर ताज्जुब होता है। जितना उनकी पढ़ाई पर खर्च करते हैं वह तो है ही और उस पर उनका सुद दर सुद मांगते हैं, यहाँ तक कि तराजू के एक पलड़े पर लड़का बैठा दिया जाय और दूसरे पलड़े पर जितना रुपया मांगते हैं वह रख दिया जाय तो रुपये का ही वजन ज्यादा होगा। इससे आजकल बहुत सी लड़कियाँ कुँआरी रह रही हैं। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि वहाँ पर तीन लड़कियाँ हैं। उनके माता पिता नहीं हैं हालाँकि उनके पिता

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

एक बहुत नामी वकील थे पर वह असमय में ही काल के गाल में चले गये और वे लड़कियां रह गईं। उनमें से एक लड़की एफ० ए० पास है, एक एन्ट्रेस पास है, एक बी० ए० फाइनल करके रुक गई है, पर उनकी शादियां नहीं हुई हैं क्योंकि उनकी शादी के लिये जब उनके चाचा या उनके अड़ोसी-पड़ोसी वर की तलाश में चलते हैं तो वर की मांग इतनी तेज होती है कि वे उतना रुपया दे नहीं पाते हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ सकती कि हमारा भारतवर्ष किधर जा रहा है। जब हम स्वतंत्र हो गये हैं तो इसके लिये भी हमें स्वतंत्र हो जाना चाहिये। पर मैं यह देख रही हूँ कि जब से भारत स्वतंत्र हो गया है तब से हम वर की जितनी ही ज्यादा खोज करते हैं उतना ही ज्यादा पैसा हमें अपनी गांठ में रखना पड़ता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी लड़कियों की शादी होना दूभर हो जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जनता के हित के लिये, लड़कियों की सुविधा के लिये, सब से उत्तम उपाय यही है कि डाउरी के नाम पर कोई भी संख्या नहीं रखी जाय। क्योंकि संख्या रखने पर संख्या पूर्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी। फिर क्या होता है कि जब हमारे समधी साहब जाते हैं तो कहते हैं कि हम देहरी ही नहीं डाकेंगे, हमें देहराना दीजिए, हमको भतखई दीजिए। नाना प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। चीजों की पूर्ति जब हम नहीं कर पाते तो हमारी लड़कियां जब ससुराल जाती हैं तो उन्हें हमेशा कोई न कोई ताने दिये जाते हैं कि तुम्हारे पिता ने वादा किया था कि ये चीजें देंगे। दहेज के अलावा भी यह मांग रहती है कि आप यह वायदा कीजिए कि लड़का विनाशित पढ़ने जायगा और उसका खर्चा दोगे तब हम शादी करेंगे। जहां कि इतनी बड़ी हुई मांग है वहां कुछ भी प्रतिबन्ध न रख कर लोगों को मुर्खीबत में डालना मैं उचित नहीं समझती। यह तो उन लोगों का हाल है जो बहुत बड़े इलाकेदार हैं,

पूजीपति हैं, राजे-महाराजे हैं जिनके पास काफी रुपया है। लेकिन आज के समय में पब्लिक कहां से इतना दे सकती है जब कि जमीन की सीलिंग हो रही है, अपने बाल-बच्चों को खिलाने पिलाने के लिये ही लोग मुहताज हो रहे हैं, जमीनदारी रही नहीं और जमीन का बंटवारा बहुत कम और सीमित रूप से हो रहा है। इसलिये इस रूप में दहेज की प्रथा को रख कर यह समझ में नहीं आता कि कैसे काम चलेगा, यह तो जनता के लिये भारस्वरूप हो जायेगा। कैसे लोग दे पायेंगे? वही दे पायेंगे जिनके पास काफी पूंजी है। मध्यम वर्ग के लोग आज भी बहुत दबे हुए हैं। वे अपने बाल-बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वे अपनी लड़कियों को पूर्णतः शिक्षा तो नहीं दे पाते, तो वे कहां से इतना रुपया पायेंगे कि जो दहेज के लिये दे सकेंगे।

भारतवर्ष में पहले दहेज प्रथा नहीं थी, दहेज प्रथा बीच में चली है। भारतवर्ष में ऐसे माता-पिता हमने नहीं देखे होंगे जो कि अपनी लड़की को न दें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह न दें। पर जहां पर मांग का सवाल है वहां पर पूर्ति करना असंभव हो जाता है। उसी से आदमी को यह समझना पड़ता है कि ये लड़कियां हमारे जीवन का भार हो गईं। लड़कों के पैदा होने में हम कितनी खुशियां मनाते हैं। लड़कियों के पैदा होने में हम खुशियां नहीं मनाते, मुंह लटका कर बैठते हैं। किस लिये? महज इसलिये कि हमें इसकी शादी के लिये कर्जा करना पड़ेगा, दहेज के लिये बहुत बड़ी मांगें होंगी और हम उनको पूरा नहीं कर पायेंगे और लड़की का जीवन भी दूभर हो जायेगा। नहीं तो दुख करने की बात क्या है। बगैर स्त्री पुरुष के संसार चलता नहीं। हमारे भारतवर्ष में लड़कियों के जन्म से ही माता-पिता को यह चिन्ता पड़ जाती है। लड़के दस भी हों तो उनको पर्वाह नहीं है, अपना कर लेंगे,

खा लेंगे, कमा लेंगे यह खयाल रहता है। लेकिन दस लड़कों के बाद अगर एक भी लड़की होती है तो उस दिन शायद ही खुशी में चिराग जले, यही मैंने देखा है। इसका कारण केवल यह है कि एक तो हम लोग यूँ ही बहुत पिछड़े हुए हैं और ऊपर से नाना प्रकार के करों के भार से लदे हुए हैं। एक ऐसा वातावरण सदन के समक्ष उपस्थित हुआ कि जिसमें मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। हमारे बहुत से भाई यह सोचेंगे कि यह हो जाने से हम लोगों को बहुत कुछ नुकसान पड़ेगा। पर मैं कहती हूँ हर एक के यहां लड़कियां होंगी और मैं खुद अपने सम्बन्ध में यह सोचती हूँ कि मैं भी एक लड़की हूँ। मेरी शादी में मेरे माता-पिता को कर्ज लेने के लिये कितना इधर उधर जाना पड़ा था, कितना उन्हें संकोच हुआ, कितना उनका अपमान हुआ, किस ढंग से उन्हें रुपया जुटाना पड़ा। हमारे भाई साहबान ज्यादातर कहते हैं कि दहेज तो स्त्रियां ही लेती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि स्त्रियां कैसे दहेज लेती हैं। वे तो आड़ होती हैं, जैसे कि टट्टी की ओट से शिकार खेला जाता है। हमारे भाई साहबान को औरतों की आड़ में यह कहने का मौका होता है कि हम क्या करें साहब, मैं तो राजी हूँ, मैं कुछ नहीं लेना चाहता पर बेटे की मां नहीं मानती। मां तो ढाल बना दी जाती है।

श्री किशोरी राम : लड़की की सास खुद मांगती है। कहती है तुम यह नहीं लाये वह नहीं लाये।

श्री ली लोला देवी (हिमाचल प्रदेश) : परोक्ष रूप से पुरुष ही उनको सिखाते हैं।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : जब आप ही चाहते हैं तो उनका क्या कपूर है? लड़के वाले कहते हैं कि हमने सोचा था कि दहेज नहीं लेंगे लेकिन ये ये चीजें तो हमको मिलनी ही चाहिये थीं। वे चाहते हैं कि बहू आ कर

हमारी पूरी गृहस्थी नये ढंग से जमा दे और सारा सामान मायके से लेकर आए और वश चले तो अपने खाने-पीने के लिये भी वहीं से लेकर चले। वे अपने यहां से कुछ नहीं करना चाहते। यही भावना है कि जो वे अपने घर में भरते हैं। बार-बार पूछते हैं कि बहू अपने साथ क्या-क्या लाई है? सच तो यह है कि कौन स्त्री ऐसी है जो अपने मायके से आई है और यह नहीं जानती कि मैं कितनी मुसीबत से आई हूँ। तो वह कैसे ताना देंगी यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

श्री किशोरी राम : असल में बात यह है कि अपने दिनों को वह भूल जाती है।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : हो सकता है वे भूल जाती हैं या भुलावे में डाल दी जाती हैं।

شریمتی انیس قدوائی (اُتر پردیش):
 ساس اپنے پتی کو خوش کرنا چاہتی
 ہے -

[†श्रीमती अनीस क़िदबई (उत्तर प्रदेश) : सास अपने पति को खुश करना चाहती है।]

श्रीमती कृष्णा कुमारी : उसके ऊपर भी तो एक अंकुश लगा हुआ है। अगर वह अपने पति के कहे अनुसार आचरण नहीं करती, कुछ थोड़ा डांट फटकार नहीं करती, तो उसके ऊपर भी लाठी टूटती है। औरत की पीठ इतनी मजबूत थोड़े ही होती है।

श्री किशोरी राम : गलत बात है।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : इसीलिये तो मैं कह रही हूँ कि अगर यह प्रथा नहीं रहेगी कि जो कुछ खुशी से मिल सके वह बहुत है तो इसी तरह के ताने दे-दे कर, कोस-कोस कर लड़की को परेशान करेंगे, उसको घर से भी निकाल सकते हैं। यही मेरे कहने

[†] Hindi transliteration.

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

का मतलब है। जब तक यह प्रथा हट नहीं जायेगी कि जबरदस्ती दहेज लिया जायेगा तब तक लड़की को ताने मिलते रहेंगे और उसके जीवन को खतरा बना रहेगा, उसका जीवन दुखमय हो जायेगा। यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया जाता है। चाहे कितना ही वह लोगों के पैर पकड़ कर कहे कि मैं यहां पर नौकरानी का काम करके रहना चाहती हूं, मुझको रूखा-सूखा दे दीजिए, वह भी किसी को मंजूर नहीं होता। ऐसी कई एक परिस्थितियां मेरे सामने आ गई हैं, कई एक जगह ऐसा मुझको यह देखने को मिला। इसलिये मैं कहती हूं कि दहेज को इस बिल में बिल्कुल ही स्थान नहीं देना चाहिये और एक पैसा भी दहेज के नाम पर लेना निषिद्ध करना चाहिये। मेरा सुझाव तो यही है और आगे भी रहेगा कि जहां भी कोई दहेज के लिये रुपये की मांग करेगा तो लड़की की शादी होने के बाद कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा कि जो एक बार सम्बन्ध जोड़ लेने के बाद अपनी लड़की का जीवन दूभर करने के लिये फिर कोर्ट में दावा दायर करे जिससे और भी तमाशा हो—कुछ इधर से जायें, कुछ उधर से जायें। अगर वह मुकदमा दायर नहीं करता है तो बहुत संभव है कि यदि हमारा कोई दुश्मन है, हमसे थोड़ा भी नाराज है वह सोचेगा चलो, एक पक्ष लगा कर कोर्ट में इस मामले को ले चलो। गलत सही बातें वहां भी की जायेंगी और वह बेचारी लड़की यूँ ही बिना विष दिये मारी जायेगी। इस वास्ते उसको कुड़ा-कुड़ा कर मार डालना ठीक नहीं है। दहेज की प्रथा को किसी भी रूप में रखने से लड़कियों के लिये एक समस्या उत्पन्न हो जायेगी। भारतवर्ष में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो अपनी बेटी को, अपनी लड़की को अपनी हैसियत के मुताबिक न देता हो। जब वह अपनी लड़की किसी को दान देगा तो यह सोचेगा कि मैं खाली हाथ अपनी लड़की को कैसे भेजूंगा, वह कुछ न कुछ

खुशी से अपनी लड़की को अवश्य देगा, लड़की के लिये अपनी हैसियत के अनुसार कपड़ा, जेवर, बर्तन और हर एक चीज जहां तक सामर्थ्य होती है देता ही है। मां तो जब से लड़की पैदा होती है तब से उन चीजों को जिनकी लड़की को जरूरत पड़ती है, थोड़ा-थोड़ा करके इकट्ठा करने लगती है। तो शादी के वक्त क्यों नहीं देंगे? जहां मांग होती है वहां पर मुश्किल होती है। मांग ही एक कष्टकर चीज है।

श्री किशोरी राम : सास भी भूल जाती है।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : हां, ससुर भी भूल जाता है। सास इस बात को नहीं भूलती है। वह भी मां का हृदय रखती है और उसके दिल में भी लड़की के प्रति स्नेह होता है। यह दूसरी बात है कि वह किसी दबाव में आकर या किसी दूसरे कारणवश भूल जाय लेकिन हर एक मां के दिल में लड़की के प्रति स्नेह और दया की भावना बनी रहती है। सास के ऊपर कभी अंकुश लगा दिये जाते हैं जिसकी वजह से वह यह बात भूल जाती है।

श्री किशोरी राम : ससुर के बदले सास ही लड़की को ताना देती है और अपने दिन भूल जाती है कि किसी दिन वह भी लड़की थी।

श्रीमती कृष्णा कुमारी : दहेज के लिए कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भी एक सास हूं और मैं जानती हूं कि सास का हृदय कैसा होता है और कोई भी सास दहेज के लिए लड़की को नहीं सताती है। एक दो घटनाएं हो सकती हैं मगर आप इस बात को सब के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। मैं यह बात नहीं मान सकती कि स्त्री के हृदय से दया की भावना चली जायेगी। हर एक आदमी यह समझता है कि किसी के दान से वह बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। हर आदमी के दिल में यह भाव आता है कि उसकी भी लड़की की शादी होगी तो उस क

देना होगा। हमने देखा है कि ब्राह्मण जो सब लोगों से दान लेता है फिर भी फटे हुए कपड़े पहिने रहता है। लेकिन इसके साथ ही जब हम कन्यादान करते हैं तो उस समय कन्या को नया घर बसाने के लिए कुछ तो देंगे ही। ऐसा कोई मातापिता नहीं होगा जो कन्यादान के समय कुछ न दे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब कन्यादान कोई माता पिता करता है तो वह अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ देता ही है। इसी तरह से जब कोई गोदान करता है तो वह भी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ दान करता ही है। हमारे सामने ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जो ज्यादा रुपया पैसा वाला है वह अपनी लड़की को ज्यादा रुपया दहेज में देता है और कभी कभी ऐसी चीज भी देखने को आती है कि लड़का द्वाराचार करने के लिए तैयार नहीं होता और उस समय पांच हजार और मोटरगाड़ी की मांग करता है। इसका नतीजा यह होता है और हमने देखा कि बारातें लड़की के यहां से वापस चली गईं और शादी नहीं हुई। अगर उस समय लड़की योग्य होती है, पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती तो कहती कि मैं इस तरह के बंधनों में शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, ऐसे घर जाने के लिए तैयार नहीं हूं जहां तरह तरह की मांग की जाती है। आज एक मांग की जायेगी तो कल दूसरी मांग की जायेगी। जिन लोगों को रुपये की भूख होती है वे यह समझते हैं कि अगर हमें इतना रुपया मिल जायेगा तो हमारी इज्जत बढ़ जायेगी। उन लोगों का रुपये से ही जीवन का आदर्श बनता और बिगड़ता है। मनुष्य को अपने जीवन का एक ध्येय बना लेना चाहिये। रुपये पैसे से मनुष्य का ध्येय नहीं बन सकता है। रुपया तो आता-जाता रहता है। मैं पार्लियामेंट की मैम्बर हूं और काफी रुपया खर्च करती हूं। एक हाथ से रुपया आता है और दूसरे हाथ से खर्च हो जाता है। लेकिन हमारा यह फर्ज होना चाहिये कि हम हमेशा ही अपनी गरीब जनता को ध्यान में रख कर विचार करें। जीवन का कोई न कोई

ध्येय अवश्य होना चाहिये और उसी के मुताबिक व्यवहार करना चाहिये।

यह भी देखने में आया है कि लड़के वाला यह कहता है कि मैंने लड़के की पढ़ाई में इतना रुपया खर्च किया है इसलिए लड़की बाले को दहेज में इतना रुपया देना चाहिये। वह शादी के समय तरह-तरह की शर्त लगाता है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि आखिर लड़की को भी उसके माता-पिता ने शिक्षा दी है और उसमें भी उसका रुपया खर्च हुआ होगा। क्या माता-पिताओं का यह कर्तव्य नहीं है कि वे अपने लड़के या लड़की को शिक्षा दें? अगर है तो क्यों इस तरह की मांग की जाती है? इस तरह से दोनों के दिल में बदले की भावना बैठ जाती है जो कि अच्छी नहीं है। अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा हो, बी० ए० या एम० ए० हो, अगर वह किसी लड़की से शादी करता है तो उसके बदले में काफी दहेज मांगता है। चाहे वह खाने के लिए मोहताज हो, उसका घरबार न हो लेकिन वह यह नहीं सोचता कि शादी करके लड़की को कहां पर रखेगा। आज हम सारे समाज में यही हालत देख रहे हैं हिन्दुस्तान में आजादी के बाद यह चीज ज्यादा देखने में आ रही है कि लोग दहेज में तरह-तरह की मांगें पेश करते हैं। आज लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना नहीं रह गई है। रुपया पैसा ही सबसे ज्यादा कीमती चीज समझी जाने लगी है।

मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि आप जब इस तरह का कानून बना रहे हैं और उसमें यह बात रखते हैं कि इतनी आय वाला इतना रुपया दहेज में दे सकता है या इतना रुपया शादी के वक्त दिया जा सकता है तो इसकी आड़ में कई तरह के शिकार खेले जायेंगे। जिनकी आय दो हजार रुपया है वह तो दहेज में रुपया या सामान दे सकता है लेकिन जिसकी इतनी आय नहीं है, जिस के पास दस एकड़ भी जमीन नहीं है और अगर उसकी लड़की शादी के योग्य हुई तो वह क्या चोरी करेगा? यह बात सोचने की है।

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

सदन में जो डाउरी बिल लाया जा रहा है उसके बारे में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में कितने आदमी पूंजीपति हैं और कितने नहीं हैं। पूंजीपति के लिये यह ठीक है कि वह शादी के वक्त मोटर साइकिल भी दे सकता है, साइकिल भी दे सकता है, और हावर्ड जहाज भी दे सकता है। पर जो बेचारे दिन रात में, जाड़े में, एक कपड़े में चार आदमी गुजर करते हैं, एक रजार्ड में चार आदमी घुस कर रहते हैं, वे अपने दामाद को इतना रुपया कहाँ से दे पायेंगे? दो हजार रुपया देने का मतलब यह हुआ कि दो हजार रुपया मांग लेने पर लड़के के घर वाले यह कहेंगे कि आपने जोड़ा जामा के लिये कपड़ा नहीं दिया, पगड़ी नहीं दी, सूटबूट का कपड़ा नहीं दिया, आपने थाली नहीं दी, कटोरी नहीं दी जो कि चांदी की होनी चाहिये, सुपारी आप सोने की लाइये, नारियल आप सोने का लाइये, यह हमारे यहां दस्तूर है। इस प्रकार दो हजार रुपये पॉकेट में गये और दो हजार के ऊपर चार हजार का सामान दीजिये। वे पहले ही पूछते हैं कि इतना तो आप दहेज देंगे और हमारे यहां पान का पत्ता नहीं चढ़ता है, हमारे यहां सोने का पान चढ़ता है, हमारे यहां सोने की मछलियां शुभ मानी जाती हैं, इन चीजों को आप बनवाईये, और साथ में कम से कम पांच थान कपड़े के चाहिये। अब आप देखिये कि कपड़े का आज कल क्या भाव हो रहा है। मैंने सुना था कि कपड़े के भाव कम हो रहे हैं, लेकिन जब मैं लेने जाती हूँ तो ऐसा भालूम होता है कि भाव ज्यादा बढ़ गये हैं। इसके अतिरिक्त जो नमक छः पैसे सेर था वह दो आने सेर हो रहा है। इस प्रकार आये दिन जब खाने की गुंजाइश नहीं होती है तो दामाद को देने के लिये इतना पैसा कहाँ से आये।

भारतवर्ष की जन संख्या के अनुसार एक आदमी की जो सालाना औसत आमदनी होती

है उसमें वह क्या कपड़ा पहन सकता है क्या खा सकता है, क्या पी सकता है। दहेज तो उन लोगों के लिये है जो पूंजीपति हैं। जो कोई भी कानून बनता है उसका असर हमेशा मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। उसका असर कभी पूंजीपतियों पर नहीं पड़ता है। कोई टैक्स लगे तो उसका भी असर पूंजीपतियों पर नहीं पड़ता है बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। डाउरी का असर भी मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। पूंजीपति बैठे हंस रहे होंगे कि अच्छा है, बहुत देने से बचे, पांच हजार के बजाय दो हजार ही सही। लेकिन जिन के पास दो सौ रुपये देने को नहीं हैं वे दो हजार कहाँ से देंगे? इस लिये मेरा नम्र निवेदन यह है कि डाउरी बिल में हमें कोई संख्या रखनी ही नहीं चाहिये। साथ ही साथ हमें वह क्लॉज भी नहीं रखना चाहिये कि अगर कोई खुशी से दे तो दूसरी बात है। इससे होगा यह कि ऊपर से दो हजार रुपये की मांग की जायगी और गुप्त ढंग से यह कहा जायगा कि पांच हजार रुपये आप को देने पड़ेंगे और फिर मजबूरन उसे कर्ज लेकर उतना रुपया देना पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी लड़की की शादी करनी है। और जब कोई लड़की का पिता रुपया दे देता है तो वह कैसे जा कर अदालत में यह कहेगा कि हाँ, हमने दिया है। एक आदमी जिस लड़के को अपनी लड़की देता है उससे उसका आत्मतृप्तता का सम्बन्ध हो जाता है और वह घर का एक प्राणी बन जाता है, अपना बच्चा बन जाता है। अब अगर वह आदमी उस लड़के के माता पिता पर चार्ज लगाता है, उनको जेल करवाता है या सजा करवाता है, तो उस लड़के के हृदय में क्या बीतेगी? वह उस लड़के के साथ कैसे प्रेम व्यवहार रखेगा? इसका परिणाम यह होगा कि उस आदमी ने अपनी लड़की के लिये घर बेंच कर जो कुछ किया वह सब बेकार हो जायेगा। उस लड़की का जीना दूभर हो जायेगा। उसको चारों तरफ से ताने सुनने की मिलेंगे और बहुत सी

कठिनाइयां उठानी पड़ जायेंगी। इसके साथ साथ जैसा कि कहा गया है कि यदि उस लड़की के माता पिता कुछ न करें तो दूसरा कोई सम्बन्धी भी कोर्ट में कार्यवाही कर सकता है। इससे यह होगा कि यदि किसी सम्बन्धी की उससे कुछ लड़ाई है या कुछ तकलीफ है या कोई जिंश है तो वह भी कार्यवाही कर देगा। ऐसे अनैकों झूँ मामले उठ खड़े होंगे और ऐसे मामलों का तसफिया करना असंभव हो जायेगा। इस से जनता में बहुत ही असंतोष फैलेगा। जनता हमेशा शांति की ओर ज्यादा ध्यान देती है। वह इतने उलझे हुये कानून के बीच पड़ने से बहुत घबड़ाती है। दूसरा सवाल यह भी है कि डाउरी का मामला कोई घस का मामला है नहीं कि चलो भाई, उसे घूस में पकड़वाना है, मजिस्ट्रेट की मुहर लगवा ली और कह दिया कि फलां जगह घूस देनी है, आप उसे चेक कर लीजियेगा और वह चैक कर लिया जाता है। ऐसी बातें डाउरी के मामले में नहीं हो सकती हैं। जब शादी होती है तो एक अपना सम्बन्ध हो जाता है। जिस लड़के को हम अपनी लड़की देते हैं उसकी इज्जत और हमारी इज्जत बराबर हो जाती है। हमारा सदा यह ख्याल रहता है कि हमें चाहे कुछ तकलीफ हो जाये पर हमारी लड़की और दामाद को कोई तकलीफ न हो। यह भावना सब के हृदय में आ जाती है, तब वहाँ पर कहां से यह सवाल उठेगा कि अगर वह कुछ ज्यादा मांगेंगे तो हम उनके ऊपर मुकदमा दायर करेंगे। कौन सा ऐसा माता पिता होगा जो यह करने के लिये तैयार होगा? इन सब बातों पर विचार कर के, मनन कर के, समझ कर के कोई कानून पास करना उत्तम होता है।

अगर आज हम इस कानून में कोई खामी रख देते हैं तो आगे चल कर यह हमारी जनता के पैरों में बाधक बन सकता है। ऐसी दशा में उनकी श्रद्धा हम लोगों के ऊपर से उठ जाती है और वे ही समझते

हैं कि पार्लियामेंट के मेम्बर हम लोगों के विषय में कोई भी विचार नहीं करते और न कुछ सोचते हैं और न कुछ समझते हैं। इस लिये मैं चाहती हूँ कि जो यह बिल आप पास कर रहे हैं, इस में से यह बात बिल्कुल ही निकाल दी जाय कि डाउरी में कुछ भी दिया जा सकता है। अपनी इच्छा के मुताबिक कोई आदमी अपनी लड़की को चाहे जो दे दे, वह ठीक है, पर जहां पर मांग का सवाल है वह मांग का सवाल मेरी समझ में उचित नहीं मालूम पड़ता। इसके दो कारण हैं। एक तो आदमी उतना दे नहीं पाता, इस लिये उसे झूठ कहना पड़ता है। मैं समझती हूँ कि हमें कोई ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिये जिससे लोगों को साधारण सी बात के लिये झूठ बोलना पड़े। यों तो शादी विवाह में बहुत झूठ चलता है और उसी का यह परिणाम होता है कि हमारी बहनों और लड़कियों को तकलीफ सहनी पड़ती है। यह बात भी है कि अगर झूठ न बोला जाय तो शादी होने में बड़ी मुश्किल पड़ती है। गर्ज में पड़कर आदमी को झूठ बोलना पड़ता है क्यों कि ऐसी चीजों की मांग की जाती है जो वह पूरी नहीं कर सकता। उससे कहा जाता है कि फलां चीज फलां समय में आपको देनी पड़ेगी। उसमें रुपये ही की मांग नहीं रहती है, यह भी मांग रहती है कि हमारे साथ बारात में इतने लोग आयेंगे, फर्स्ट क्लास के इतने आयेंगे, सैकेंड क्लास के इतने आयेंगे और थर्ड क्लास के इतने आयेंगे और इनके साथ इतने डोलकिया और बजनिया भी आयेंगे और उनके लिये समय समय की खाने की लिस्ट भी वर की तरफ से तैयार मिलती है कि आपको इतना नाश्ता देना पड़ेगा, इतना खाना देना पड़ेगा। अब आप देखिये कि रुपये की जो मांग रहती है वह किसी ढंग से कर्ज लेकर पूरी भी की जा सकती है पर जो खाने वाली मांग है उसका पूरा करना बहुत कठिन है। जो छः पैसे सेर नमक मिलता था वह अब दो आने सेर मिलता है और जो दूध चार आने सेर मिलता

[श्रीमती कृष्ण कुमारी]

था, वह अब एक रुपया सेर मिलता है, ऐसी दशा में हम बारात को खिलाने में ही तबाह हो जायेंगे। अगर बारात को हम ठीक खिलाते नहीं हैं तब भी बदनामी होती है कि बाराती आये, हमारे दामाद साहब के नाते रिश्तेदार आये, और हम उनको इज्जत के साथ भोजन भी नहीं दे सके। इस तरह दहेज से चौगुना हमें खान पान पर लगाना पड़ता है। इसके लिए कहीं भी कानून कायदे के अन्तर्गत नहीं आया है कि बारात कितनी कम हो। मैं चाहती हूँ कि बारात भी सीमित हो। दहेज के नाम पर एक कौड़ी भी न रहे और यह भी कर दिया जाय कि शादियों में बारात भी सीमित हो जाय जिसमें उनके खाने पीने का प्रबन्ध तो आदमी कर सके। वह कहते हैं कि दो सौ आदमियों के लिये चारपाई रखना। बाबा, चारपाई दो सौ आदमियों के लिये कहां से आये? कितनी मुसीबत पड़ती है। हमने कई एक शादियों में देखा है और अपने यहां देखा है मेरे एक लड़की थी, एक पैसा भी दहेज में नहीं दिया। न उन लोगों ने मांगा और न लड़के का लिया तब भी आप ताज्जुब मानेंगे कि खिलाने पिलाने और इधर उधर करने में ४ हजार रुपया मुझे खर्च करना पड़ा। आप बताइये एक साधारण आदमी के लिये, एक काश्तकार के लिये कितना कठिन है। आज मैं पार्लियामेंट की भेम्बर हूँ और अगर आज इतना रुपया लग भी जाय तो एक साल की कमाई है लेकिन उस वक्त कितनी कठिनाई मुझे हुई थी, मैं ही जानती हूँ। चार गांव से चार पाइयां मंगवाई और वे चार पाइयां भी टूटी। अपने ऊपर एक बड़ा अहसान लोगों का लादा कि साहब बरातियों के पड़ने के लिये चारपाई गई थी और टूट गई। कहीं कहीं तो बराती उसकी जो अदवाइन होती है वह भी ले जाते हैं। बाराती यह सोच कर नहीं जाते हैं कि हम किसी के घर में मान जा रहे हैं वह तो चाहते हैं वहां जो कूँ

हो वह बटोर लावें। चारपाई में जो बाँध की अदवाइन लगी रहती है उसको खोल कर जाते समय अपना सामान बांध कर ले जाते हैं। अब बताइये ऐसी सूरत में आप इसके लिये कुछ कर रहे हैं या इसको यों ही छोड़ रहे हैं। अगर इसको यों ही छोड़ा जाता है तो और भी तबालत सिर पर आती है क्योंकि इधर तो जमीन की सीलिंग है, हमें उतने ही में अपनी गृहस्थी चलानी है, उधर लड़कों की शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा है, शादी है, व्याह है और उसके लिये भी यहां २ हजार रुपये आप रख रहे हैं, इसके बाद भतखौनी का रुपया है, डेहरी डकौनी का रुपया है, समधी के मिलाप का रुपया है और यह सब रुपया ऊपर से ही आयेगा तो फिर इससे फायदा क्या है। इससे पबलिक यों ही तबाह हो कर मर रही है और आगे और भी तबाह हो जायगी। अभी तो बहुत सी जगह मांग नहीं है मगर जब यह कानून पास हो जायगा और २ हजार वाली बात आप रख देते हैं तो हमारे मध्यम वर्ग के लोग इतने पिस जायेंगे कि वे कभी उभर नहीं सकेंगे। कारण यह है कि अभी तो हाथ पांव जोड़ कर अपनी हैसियत के अनुसार शादी विवाह कर लेते हैं लेकिन जब आपका यह २ हजार रुपयों वाला परवाना पास होगा तो उस समय सब कहेंगे कि बाबा पार्लियामेंट में पास हो गया है और अब आप २ हजार से कम देंगे तो हम शादी करने के लिये तैयार नहीं हैं। तो यह कानून का जो मुख्य अंश है वह तो बेचारे गरीबों के खिलाफ है, अमीरों के खिलाफ नहीं है। जो कानून बनाते हैं उसमें हमेशा यह देखना चाहिये कि इससे गरीबों को कितना फायदा हो रहा है। जहां पर गरीबों के फायदे का सवाल हो वहां पर हम लोगों को हमेशा बहुत गम्भीरता से सोच कर चलना चाहिये और यह देखना चाहिये कि उनकी क्षति न होने पाये। वे खद इतने पिस गये हैं कि बच्चों के लालन पालन करने में और उनकी शिक्षा दीक्षा में बड़ी मुसीबत आ रही है। जो मध्यम

वर्ग के लोग हैं उनसे तो अच्छे हमारे हरिजन भाई हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिये, उनके रहने के लिये, उनके वस्त्र के लिये भी सरकार प्रबन्ध कर रही है पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिये, जिनके बच्चों को पूरा खाना नहीं मिलता है, जिनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है और जिनके बच्चों के पहिने के लिये कपड़ा नहीं हो पा रहा है उनके लिये न तो सरकार की तरफ से कुछ है और न घर की तरफ से ही कुछ हो रहा है कि लोग उनको शिक्षा दे सकें, कपड़ा बनवा सकें। तो ऐसी हालत में वे कैसे इतना दहेज दे पायेंगे। तो विचारने का जो प्रश्न है वह यह है। यह नहीं है कि हम पूँजीपतियों के लिये चिल्ला रहे हैं। मैं इतनी देर से जो कह रही हूँ वह अपने उन गरीब भाइयों के लिये कह रही हूँ जो कि मध्यम श्रेणी में हैं, जिन्होंने कि कभी दो हजार राया एकत्रित किया हुआ देखा नहीं है। तो वे कैसे चलेंगे और कैसे यह दो हजार राया दे पायेंगे ?

तो मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करती हूँ कि इस चीज को बिल से बिल्कुल ही निकाल दिया जाय और इसमें कोई भी रकम डाउरी के लिये, चाहे वह जो भी हो, न रखी जाये। जब कोई डाउरी ही नहीं रहेगी तब तो कोई बात ही नहीं उठती है कि हम अदालत करें, अर्जी करें या हम किसी के ऊपर कोई दावा दायर करें कि इसने फलों फलों के सामने इतना रुपया लिया है। मेरा कहना है कि कहीं ये बातें भी कभी सामने आती हैं ? जो मांगेगा वह क्या ऐसा बूढ़ा होगा कि वह यह नहीं जानेगा कि हम यह मांग रहे हैं और गलत मांग रहे हैं और कभी इसके लिये दावा दायर हो सकता है। तो वह तो एक दूसरे ही ढंग से मांगने की कोशिश करेगा और लेगा जिससे कि कोई सबूत या सफाई नहीं दे सके कि इसने यह लिया है।

इसमें मुख्य विषय जो है, वास्तविक विचारणीय विषय जो है वह यह है कि कोई

भी बिल केवल पास होने से ही लागू नहीं होता। वह तब तक लागू नहीं होता जब तक कि हम हृदय परिवर्तन नहीं करते। मुख्य चीज जो है वह हृदय परिवर्तन है। हम सब स्त्री पुरुष दोनों मिल कर अपना हृदय परिवर्तन करें तब तो यह मसला बहुत साधारण और अच्छे ढंग से चल सकता है। हम लोग बराबर इसके लिये तत्परता से काम करें। हर एक भाई को यह चाहिये कि अपने भाइयों से इस चीज के लिये सलाह मशविरा करे कि अब ऐसा नहीं होना चाहिये कि इतनी दहेज प्रथा चले और हम लोगों के लिये भी उचित और जरूरी है कि इसके लिये अपनी बहनों से बातचीत करें और उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें।

सारदा एक्ट पास हुआ पर मैं कहती हूँ कि वह लागू कहाँ हुआ और कितना हुआ ? बिल पास होने से कुछ नहीं होता है। होता तब है जब कि हम उस पर अमल करते हैं, उसके ही अनुसार हम चलते हैं। आज भी गांव में देखने को मिलता है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे बच्चियों की शादी होती है। हमने इसके लिये तो कोई केस होते नहीं देखा। कहीं अन्यत्र हुआ हो तो हुआ हो परन्तु रींवा में हमने ऐसा कोई केस होते हुए नहीं देखा। लड़के और लड़कियों की शादी ३ साल की उम्र में हो जाती है और ये शादियां हमारे हरिजन भाई करते हैं क्योंकि उनके साढ़े तीन खून माफ हैं। अगर कोई बीच का आदमी करे, ब्राह्मण या क्षत्री या कायस्थ करे तो शायद और लोग भी खोंवा मारने लगें लेकिन आज तक सारदा एक्ट का कोई कानून इन लोगों पर लागू नहीं हुआ। तो क्या सारदा एक्ट से हम हृदय परिवर्तन कर सके। वे लोग तो उसी तरह पुरानी लकीर के फकीर हैं। जो पहले थे वही अब हैं। कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ६ मास के लड़के और लड़की की सगाई तय कर दी है तो हम तो तीन साल की उम्र के अन्दर करते हैं। हम नहीं मानते तुम्हारे कानून को, जो कुछ होगा वह भोग लेंगे। जहाँ पर ये समस्याएँ

[श्रीमती कृष्णा कुमारी]

आ जाती हैं वहां पर यदि ऐसा बिल पास करते हैं तो उससे फायदा क्या है, लने वाले तो लेंगे ही।

बहुत से भाई साहबानों की यह राय है कि लड़कियां ही, मां ही ऐसा करती हैं। मां तो हमेशा दोषी है। मां के पेट से अच्छा लड़का लड़की भी पैदा होते हैं, अच्छी प्रकृति के भी होते हैं, खराब प्रकृति के भी होते हैं। मैं यह कहती हूं कि वह दोषी हो सकती है परंतु मैं यह नहीं कह सकती कि दहेज न ले आने की वजह से वह एक बहू को बराबर कोस कोस कर मारेगी। इसलिये यह होता है कि पिता यह कहता है कि हमारा लड़का विलायत भेज दिया जाय और तब लड़के का विचार यह होता है कि हमारा समुर बहुत रुपये वाला है वह हमें विलायत पढ़ने के लिये भेज देंगे और हम वहां जा कर आराम से पढ़ेंगे और सैर-सपाटा करेंगे। इस तरह से उन की मांग बढ़ जाती है और जब उस मांग की पूर्ति नहीं होती तो वे ही बच्चे घातक हो जाते हैं अपनी स्त्री के प्रति। कई एक मिसाल हमें ऐसी भी मिली हैं कि जहां 4 P.M. सास नहीं होती और लड़का ही अपनी स्त्री के खिलाफ हो जाता है और उसे नाना प्रकार के कष्ट देता है कि जा कर अपनी मां के यहां से इतना रुपया ले आओ।

श्री किशोरी राम : लड़की की सास अपनी बेटी के अलावा पतोहू को भी बहू बेटी मानती ही नहीं।

श्री उपसभापति : आप दहेज के बारे में काफी बोल चुकी हैं। सिर्फ तीन मुद्दाव जो हैं उन के बारे में कह दीजिये।

SHRI N. M. LINGAM (Madras): Let her continue, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is going on at random.

श्रीमती कृष्णा कुमारी : मेरे इतना बोलने का मतलब केवल यही था उपसभापति

महोदय, कि जो इस में क्लज रखे गये हैं वे मेरे समझ में ठीक नहीं हैं। यह जो बात रखी गई है कि अगर कोई ज्यादा डावरी लेता है तो लड़की की तरफ से कोई संबंधी व्यक्ति दावा दायर कर सकता है। तो यह केस पुट अप कौन करेगा कि उन्होंने ने इतना पैसा लिया है? तो डिमान्ड जो है वह डिमान्ड बिल्कुल नहीं होनी चाहिये यह मेरा कहना है। मैं उस के खिलाफ हूं। मैं दोनों चीजों के खिलाफ हूं, न तो डिमान्ड यह होनी चाहिये, न डिमान्ड वह होनी चाहिये। मैं यह कह रही थी कि जहां दहेज लिया जायगा उस के लिये केस को कौन पुट आप करेगा। मैं कैसे कहूंगी कि मेरा समधी मुझ से इतना रुपया देने को कह रहा है और तभी वह अपने बेटे की शादी करेगा। दूसरे, अगर हमारा कोई संबंधित व्यक्ति इस केस को ले कर अदालत में जाता है तो मैं अदालत के सामने कभी यह मंजूर नहीं करूंगी शायद कोई दूसरा आदमी भी इस को मंजूर नहीं करेगा। इसलिये मैं कहती हूं कि यह डिमान्ड वाली जो बात है इसको इस में नहीं रहना चाहिये और यह एक साधारण सी बात है। जिस की इच्छा होगी वह अपने आप स्वेच्छा से लड़की या लड़के को दे देगा। आखिर लड़के और लड़कियों की शिक्षा का भार उन के माता पिताओं पर होता है। वे दोनों को जब शिक्षा दे रहे हैं, दोनों शिक्षित हैं, दोनों अपने पैरों के बल खड़े हो कर चलें। पर जहां पर डिमान्ड वाली बात आती है, वह हमें बिल्कुल पसन्द नहीं है और यह हमारी जनता के लिये आगे चल कर घातक होगी और उस से मुल्क में एक बड़ी भारी तबाही आ जायगी क्योंकि जो शादियां वगैर डिमान्ड पूरा किये हुए होंगी, उन में लड़कियों का जीवन दूभर हो जायगा। ऐसी हालत में यह भी हो सकता है कि वे शूलत रास्ता भी अपना सकती हैं। इसलिये मैं चाहती हूं कि अगर अच्छी तरह से, सहूलियत के साथ, यह चीज सामने आ जाय और निभ जाय तो सब से उत्तम होगा नहीं तो अगर डिमान्ड की बात आयेगी तो उस का

भार हमारी जनता उठाने में असमर्थ हो जायगी और यह चीज चल नहीं सकती। मेरा यही सुझाव है।

स्वामी केशवानन्द (राजस्थान) : उप-सभापति जी, मैं भी इस संबंध में दो चार शब्द कहना चाहता हूँ।

माननीय सदस्या बहिन ने आप के सामने बहुत लम्बी चौड़ी जो बातें कही हैं, अगर वास्तव में देखा जाय तो ये सारी परिस्थिति ऐसी ही है। उनके कहने का मतलब एक ही है कि जो दहेज की प्रथा के अनुसार हमारे देश में बहुत सी बातें होती हैं उन को यहां बैठे हुए अनुभवी लोग, बड़ी उम्र के लोग हमेशा देखते हैं। दहेज नहीं मिलने से, जैसा आप ने कहा है, न जाने कितनी बहुत सी घटनायें देखने में आती हैं, मुकदमे चलते हैं, किस प्रकार से हत्याएँ होती हैं। ये तमाम बातें हमारे देखने में हमेशा आती हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दहेज के नाम से कोई ऐसी अनुचित चीज हमारे सामने आये, यह नहीं होना चाहिये। जैसा कि और देशों के अन्दर होता है कि वहां विवाह की रस्म में कोई खास रुपये पैसे का सवाल नहीं होता, कोई खास बारात नहीं ले जानी होती है और शादी पूरी हो जाती है उसी प्रकार हमारे देश में भी होना चाहिये। इतना दहेज है, थोड़ा दहेज है इस किस्म की ऐसी वैसी बातों से हमारे जो दूसरे आम लोग हैं उन के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। इतना जेवर दो, इतना दहेज दो और इतना रुपया दो, ऐसी वैसी बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिये। हमारी बहिन ने जो बात कही है मैं उस का समर्थन करता हूँ। वे दर्दभरी बातें हैं और गांवों में और शहरों में रहने वाले सभी लोग समझते हैं। यदि मैं उदाहरण दूँ तो बहुत समय लग जायगा। किस प्रकार लड़कियां अपने माता पिताओं को, अपने शरीर में मिट्टी का तेल छिड़क कर और उस में आग लगा कर अपने को मौत के घाट उतार कर, उन को दुखी बना गई हैं यह किसी से छिपा नहीं

है। सब के सब इस चीज से उदास हैं। इस कानून का सारे देश के साथ संबंध है और इसलिये हमें सोच विचार कर इस प्रश्न को हल करना चाहिये। इतना कह कर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री राम सहाय (मध्य प्रदेश) : उप-सभापति महोदय, डावरी बिल के बारे में काफी बहस पहले हो चुकी है। उन सब बातों का दोहराना कुछ मुनासिब नहीं है। राज्य सभा में जिस वक्त यह बिल पहले पेश था उस वक्त भी मेरा मत यह था कि धारा ४ इससे नहीं निकाली जानी चाहिये। लेकिन वह निकाल दी गई। लोक-सभा ने, मैं समझता हूँ, बहुत ही मुनासिब समझा है कि उसको कायम रखा जाय और मैं इस मत का हूँ कि धारा ४ अवश्य ही इसमें कायम रहनी चाहिये। अगर धारा ४ इस बिल से निकाल दी जाती है तो फिर मेरे खयाल में इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती कि जिससे इस बिल की आवश्यकता हो। मेरा तो यह निश्चित मत है कि जब तक बाड़े से कड़ा प्रतिबन्ध इस डावरी पर नहीं होगा तब तक यह जो हमारे यहां बहुत ही बुरी प्रथा है वह किसी भी प्रकार से हल नहीं होगी। डावरी के कितने बुरे परिणाम हमेशा ही रहे हैं, उनके विषय में विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूँ कि यह धारा अवश्य ही इसमें रहनी चाहिये और माता पिता को, वालदेन को, पेरेंट्स को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि जब जायदाद में लड़कियों को हिस्सा मिलना हम तय कर चुके हैं तब निश्चय ही उनके घर में जो बहू आती है वह अपने पिता की कुछ न कुछ सम्पत्ति अवश्य लायेगी।

शाह मुहम्मद उमेर (बिहार) : आपने इन्फोर्स कहां किया है ?

श्री राम सहाय : इन्फोर्स तो कर रहे हैं। निश्चय होगा, इसमें शुबहा नहीं है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब हम इस प्रकार का उत्तराधिकार पुत्रियों को दे चुके हैं फिर वालदेन का या पेरेंट्स का डावरी पर इन्सिस्ट करना, यह एक बिल्कुल बेमानी सी बात होती है। अगर हम इसमें कुछ थोड़ा सा भी लूप होल रहने दें या थोड़ी सी भी राहत रखें तो फिर यह डावरी सिस्टम कभी भी समाप्त होने का नहीं है। इस बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ऐसा बिल समाज में लाने की आवश्यकता नहीं है या नहीं लाया जाना चाहिये या ऐसे कड़े प्रतिबन्ध नहीं रहने चाहिये। लेकिन मेरा तो यह निश्चित मत है कि जब तक सल्ल से सल्ल इस बारे में कायदे नहीं बनेंगे और उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की रोक होना संभव नहीं है। अभी हमारी बहिन ने जो बहुत सी बातें आपके सामने रखीं वे आपने सुनी होंगी। तमाम खानदान के खानदान ऐसी शायदियों में बर्बाद हो जाते हैं, पीढ़ियों तक उनका कर्जा अदा नहीं होता। जब ऐसी शकल है तब मैं समझता हूँ कि इसमें अवश्य ही ऐसी बातें होनी चाहिये जो हम ज्यादा से ज्यादा कर सकें।

एक और बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो यह "डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली" का सेक्शन २ में समावेश किया गया था वह मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। उसे रहने दिया जाय और यह इसलिये कि उससे इस बिल को ताकत मिलती है और इसको इन्फोर्स करने में बहुत सहाय्य होगी और जो लोग येन केन प्रकारेण डावरी लेने की चेष्टा करते हैं वे अवश्य ही इससे बाज आर्येंगे।

तो मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि राज्य सभा द्वारा धारा २ में डाइरेक्टली एंड इन्डाइरेक्टली के जो शब्द जोड़े गये हैं वे कायम रहने चाहिये। लोक-सभा ने धारा ४ में जो

तजबीज रखी है उसको बदस्तूर कायम रहना चाहिये। इसके बाद जो और एमेन्डमेंट हैं वे बहुत ज्यादा महत्व के नहीं हैं और मैं उन पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूँ।

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI (Madras): Sir, I wish to point out that this enactment for prohibition of dowry was long awaited by all the women social workers in this country, and those of the workers who had been in contact with the disabilities, with the hardships, with the tortures that had been made possible due to the insistence upon the giving of dowry at the time of marriage or before marriage and long, after also for various purposes, with the cruelty that had been made possible in regard to the young girls before marriage and even after marriage, know that pages of history could be written on that subject. Therefore, I have stood up to speak in favour of this Bill coming into force as soon as possible. It has been long awaited, and it is time that we did something, to expedite its passage into law.

It has been said that there is this flaw in this Bill here that there is another flaw there, that therefore it may not be operative, that it will be futile to enforce it, that when it is put into practice nothing would be forthcoming, that dowries will continue, that people will demand it, and all that. They said the same thing with regard to the Child Marriage Restraint Act, at the time when the abolition of child marriage was mooted. They say the same thing with regard to every piece of reform and progressive legislation. Any enactment of Parliament has force, and at least it will act as a deterrent. It will make people point out to the law that is there and therefore compel people or make people not to demand dowries.

With regard to the various clauses in this Bill which had been accepted by this House lately and which had gone to the Lok Sabha and had come back with certain amendments from

the Lok Sabha, I feel we should stick to our stand, Sir, not because of the prestige of this House or the other House, not because we want to merely adhere to things as we have said those things before, but rather because we have gone into the measure very very carefully, clause by clause, and the Minister of Law had seen eye to eye with us when we did say these things and he agreed with many of the clauses that we had recommended. Having done that, the Bill goes to the Lok Sabha and some other recommendations are made, amendments are made by the Lok Sabha, the Bill comes back and we are asked to go back on what we have decided. I do not stand on any prestige at all. It is just that we have studied this Bill very very carefully and have gone into the various implications of it. Having considered it very deeply, we have suggested certain clauses to be deleted. As our friends had been pointing out, we wanted the words "directly or indirectly" at the end of line 9 on page 1, and that for a very definite purpose in the sense that it is not only the direct giving of dowry that should be abolished but also the indirect way of inducing dowry to be given.

Sir, there are many cases which I can quote, but I do not want to stand in the way of other speakers coming forward to express their views. There are very many hardships that have been related, how at the last moment—and in the picture houses you have seen films brought out to show this—just before the *tali* was going to be tied some Rs. 1000 was less in the amount of dowry that had to be given and the whole function had to be called off with the result that the girl was ruined and had to suffer lifelong after that, because for a girl having gone to the length of the wedding ceremony in the prime of her life to be cast out as not wanted at the wedding pandal is a tragedy—we know what a tremendous shock it gives to her. Many a case there had been in the past that had ended in suicides of young girls. The case of

Snehalata is there, and I may tell you that there are many Snehalatas that have suffered like that. Therefore, I will not go into these details.

When educated men come forward for marriage, they say "My father demanded it, my mother demanded it, I did not want it", and so on. I know of a case in South India where the girl was beautiful and everything had been arranged, furniture, dress, everything. Ultimately, the gentleman wanted a car, a particular make of car which cost a great deal. The father of the girl was hesitating as to how he could find all that money. Then also he was an educated man and he said to himself, "What, one by one I have supplied all these tremendous series or lists of things which would cost more than Rs. 1 lakh. Tomorrow is the ceremony and at the last moment he comes and demands a car." He got a little put out as to how long he could stand this insult, and he said, "No car. The car will be given after the birth of the first child." Immediately the whole thing was scrapped. For the wedding ceremony, cards had been printed and thousands of rupees had been spent on pandals and other preparations, but the whole thing was scrapped, and this poor girl was pointed to by society as a girl who had been rejected by a bridegroom. There are many cases like this in our society. It is not only the women who are perpetrators of such wrongs in demanding dowry. They say that the mothers-in-law want those things. The fathers-in-law also want them. It is a fact that the whole society has to be educated. You might ask "why this Bill should be brought, why legislate, you have to prepare society to have a social conscience before any law is passed. This will be only on the Statute Book, it will not be put into practice." We have to do both the things together. While the law is there the society can also be educated and I can guarantee that many of the social workers in the field will take it up and disseminate this knowledge

[Shrimati T. Nallamuthu Rama-murti] that there is such an Act and, therefore, beware "You can refuse dowry hereafter." Therefore, I plead with all the strength in me that the clauses that were moved and accepted by the Minister in this House should be still retained.

Now, I want to say something in regard to this Explanation I on page 2, which says:

"For the removal of doubts, it is hereby declared that any presents made at the time of a marriage to either party to the marriage in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section, unless they are made as consideration for the marriage of the said parties;"

This should be deleted and rightly so, because we do not want to introduce the backdoor what we have abolished by the front-door, as it were, dowry will take many forms. The whole idea is bartering girls for money. Our girls are not bulls, they are not sheep, they are not dumb-driven animals. The girl herself is worth her weight in gold for her character, for her qualities. This is Indian womanhood. It is a sacrilege committed on Indian womanhood when you ask that she should bring lucre with her. Therefore, we stoutly said that this must be eliminated.

Then, at the same page 2, clause 4—penalty for demanding dowry—should also go, because what is the idea of saying, "Don't ask, but take -dowry"? We want to do away with the very idea or thought of taking this dowry money at the time of marriage. Therefore, we want to purify the society; we want to raise the women in status in regard to this question and therefore I think it is necessary that all these clauses should be retained as we have done originally and nothing should be gone back on simply because the Lok Sabha had thought it fit to

bring in certain amendments. There are many more things but I will not go into details of all of them and I would say that I strongly plead and demand that this law should come into force as it had been passed by the Rajya Sabha. I would like to have a joint session if it comes to that, and if we do not agree, when we do sit together, I hope the Lok Sabha would see its way to the acceptance of the wise contribution made by the Rajya Sabha. Not that I say it is the Upper House or the Lower House but I do think that this is a House of wisdom, not that I deny the wisdom of the Lok Sabha. Lok Sabha is a Sabha of the people, is a wonderful body and there people have said what they wanted to say. But when we are here with great experience, with tried-out experience, in the various fields, especially in this particular field, have done this and when above all women have come forth in large numbers like this from all parts of India and brought to bear on this Bill their hard-gained experience in this particular field of dowry system which has played havoc on the lives of many young girls, I feel that our brothers and sisters in the Lok Sabha, when we have a joint session, would agree with us and see that this enactment is made possible, as soon as possible. It has been a long-awaited measure by the bleeding hearts of many a young girl in this country. Mothers and grandmothers have pawned their houses, their belongings and their everything in order to see these girls happy and still at the last moment, something is wanting and therefore the girl is rejected. I do plead that this Bill should be enacted in the original form in which we have recommended it from this House. I would plead before the Members of the Lok Sabha, when there is a joint session, and also the Law Minister, that they should see our point of view and accept our point of view *in toto*.

I would only say one thing more and that is, let not any section of this House feel that anything will be done

to trespass on the rights of any Member here or any Member there. True, today the society has progressed, education has advanced, and we do see the spectacle of young girls and young boys standing up and saying, "I do not want a sing e pie; I want only you." There are many instances where they have become chastened in their lives and outlook and have gone a long way of progress in their lifetime. They have swum together merrily and happily wherever they might have lived and set an example to so many others. I would like to see a society of happy contented couples like that soon. But still the old cankerous custom continues, a custom that was in primordial days when we wanted protection for our girls, and why should we continue that dead old custom again in these days of enlightenment, of progress, and when the women of India sitting in large numbers as these in this Parliament have shown the torch, the way, to the rest of the world to live amicably together, to build a happy home and hearth and to promulgate peace in the hearts of their children so that the world at large would stand up for peace and for the promotion of harmony and bliss. Therefore, with all the zeal that is possible in me, I want to say that this Bill, as it has been passed in this House, should be accepted and I crave the acceptance of that from the Members of the Lok Sabha in case there is a joint session.

SHRI J. S. BISHT: Mr. Deputy Chairman, Sir, I think we are all agreed in this country that the atrocious custom of dowry should somehow come to an end.

SHRI JASWANT SINGH (Rajas-than): No, no, we are not agreed. The House has not agreed.

SHRI J. S. BISHT: On this point that it is a very bad custom and that this bad custom must come to an **end**. Personally, Sir, I come from a part of the country where this evil custom does not exist at all.

DR. R. B. GOUR: Assam?

SHRI J. S. BISHT: No, the Kumaou Hills. The custom of dowry does not exist there, has never existed and will never exist and we do not therefore realise the hardships that are caused except what reports we read in the newspapers. At the other end of this country stands the State from which the hon. the Law Minister comes, that is Bengal, where the custom is prevalent and where at least among the *bhadralog* it is very acute and it has resulted in many girls committing suicide and in this House I learnt from our friend, Shri Jugal Kishore, that in Punjab this custom is also very bad. In certain parts of U.P. and Bihar, especially among certain communities, the custom is prevalent. The custom is indeed bad; it must go. But we must also know that we are not the only people who are suffering from the evils of this bad custom. As far as I know, in that part of Europe which is called Latin-Europe, Italy, France and Spain, there too the custom prevails, not compul. sory .

SHRI AKBAR ALI KHAN: No, no.

SHRI J. S. BISHT: The parents decide among themselves about it to some measure.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Very negligible; if at all, very negligible.

SHRI J. S. BISHT: Maybe negligible, but still it is there somewhere. My friend is making a very dogmatic statement about certain things about which the books state otherwise. Going to a city there you do not know what the customs are; looking at one particular city or one particular country you do not know what real forces are working underground. Therefore, I said that this custom . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: The hon. Member is wrong, because I have made enquiries into the customs and habits of men there. That is why I am saying the thing. It is not merely by looking at a city that I say so.

SHRI J. S. BISHT: Very well. In any case .

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-NAND (Madhya Pradesh): We are legislating against a custom, to do away with this custom. Objection to this legislation should have been taken earlier and it is too late at this stage of the Bill to take objection to the Bill as such. If objection on this ground were to be taken, it should have been taken at the stage the Bill was introduced.

SHRI J. S. BISHT: I am quite unable to follow my hon. friend, Dr. Seeta Parmanand, why she is so touchy about it. I have only said . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: It is not a question of being touchy about it. It is a bad custom and it should go out of our society.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHTT M. DAVE) in the Chair.]

DR. R. B. GOUR: Mr. Vice-Chairman, after passing this Bill into an Act the Indian youth will not take dowry even if he is marrying an Italian girl.

SHRI J. S. BISHT: Now, as I was saying, the custom is bad and the custom should go. On that we are agreed. But mere sentiment does not serve any purpose. It is said that businessmen and lawyers are hard-headed, and they should be, because they face the realities of life in all its manifestations and in all its nakedness. I am a lawyer and therefore I am looking at it from the point of view of law courts, how a particular provision will be interpreted in the law courts, how the lawyers will interpret it. It is no use saying we are passing a good legislation. It cannot be just for our satisfaction when tomorrow nothing will come out of it. See what clause 4 says:

"If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly," . . .

Now, I have not yet come across any law book giving the definition of, "indirectly", and how it is to be proved in a court of law—

"If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be," . . .

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: There is no Minister here when such important things go on.

DR. R. B. GOUR: Mr. Naskar is there; he belongs to the same State to which the Law Minister belongs.

DR. SHRIMATI SEETA PARMANAND: At least he should be sitting in the Law Minister's seat.

SHRI J. S. BISHT: As I was quoting, Sir:

"If any person, after the commencement of this Act, demands, directly or indirectly, from the parents or guardian of a bride or bridegroom, as the case may be, any dowry, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months," . . .

Now, let us look at it from the purely practical point of view. Supposing I want to marry my daughter and I find that there is a boy who is eligible, who is healthy and is well placed and I am anxious to marry my daughter to that boy. And supposing the parent of the boy during the negotiations also demand something by way of dowry, and then supposing I give it in my anxiety to marry my daughter to that boy, is it conceivable that I will go to a law court and report that he is demanding dowry from me? Will any practical man do it, I ask? Will any responsible parent who has got a daughter and is anxious about the future of his daughter miss this opportunity, let slip the boy of his choice out of his hands, and go and prosecute the fellow and send him to undergo six months' imprisonment? (*Interrup-I Hon.*) Maybe, some lunatic may do it,

but no sane man who has a daughter will. I can tell you no sane man who has a daughter to marry will play with his daughter's future like that. Supposing I actually give some dowry and marry my daughter to a boy, shall I go later on to file a suit against him? Is it conceivable that I will jeopardise the whole future of my daughter?

SHRI JASWANT SINGH: And break the home.

SHRI J. S. BISHT: And break the home for the sake of this Bill? Then who will come forward to do it? It may happen this way. Supposing I have a daughter to marry and the fellow turns down my offer. Then disgruntled I may go and make a report. Then how is the court going to judge whether my complaint is *bona fide* or *mala fide*? (*Interruptions.*) Mr. Vice-Chairman, I am not yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHTT M. DAVE): Order, order.

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI: Let me tell you; I can cite many cases where the demand of a dowry could not be met and therefore the girls had been married to persons who had never demanded it. Our society is not such a vacuum that it is filled only with persons demanding dowries.

SHRI J. S. BISHT: Quite right, but one swallow does not make a summer. One case does not make good law. After all it is the legal maxim that hard cases make bad law. We are making law for the generality of men. We are legislating for eight crore families in India. Taking five people to a family there are eight crore families and we are legislating for them. Now, how many cases will you get, tell me? Now, if any man goes to a court of law to file such a suit, it will be only out of malice or *mala fides*—never out of bona fides. Nobody wants to go to a court of law. (*Interruptions.*)

I am not yielding. The Muslims do not want their law to be touched by anybody and yet they want to interfere in this matter. I object to it.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Please examine it; it applies to all.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA (Bihar): How?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Probably, you have not read the Bill. It applies to all.

SHRI J. S. BISHT: But do you have any dowry?

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA: If you read clause 2 it says:

"... but does not include dower or *mahr* in the case of persons to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies."

So, how does the hon. Member say that it applies to all?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Dower is a different thing from dowry. Dower is *mahr*.

SHRI J. S. BISHT: Dower means *mahr*.

SHRI AKBAR ALI KHAN: The bridegroom has to pay, not the bride.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHTT M. DAVE): Order, order.

SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA: It says:

"does not include persons to whom the Muslim Personal Law (*Shariat*) applies.

SHRI J. S. BISHT: The clause says:

"... at or before or after the marriage as consideration for the marriage of the said parties, but does not include dower or *mahr* in

[Shri J. S. Bisht.]
the case of persons to whom the
Muslim Personnal Law (*Shariat*)
applies."

Then why have it? Omit it. Move an
amendment to that effect.

(Interruptions.)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M.
DAVE): Order, order.

SHRI J. S. BISHT: Now this says:

"Dowry" means any property or valuable
security given or agreed to be given, either
directly or indirectly, by one party to a
marriage to the other party to the marriage;" . . .

Whether it is by the bridegroom to the bride
or by the bride to the bridegroom, it comes to
the same thing; it makes no difference.

SHRI AKBAR ALI KHAN: If my learned
friend permits me I can explain it. Dowry is
to be paid at the time of divorce or after the
death of the husband. That is dowry.

SHAH MOHAMAD UMAIR: It has to be
paid on the spot.

SHRI AKBAR ALI KHAN: I would just
explain. Dowry is an amount which at the
time of the contract it is stipulated that it is to
be paid by the husband to the wife, and in 99 •
9 recurring cases it is paid after the death or at
the time of divorce. There are cases of prompt
dowry and deferred dowry, and it is possible
that somebody may say: "Well, I paid it
immediately." But that is not at all
practicable. I do not know about the whole
country but in my part of the country this
dowry, even in Muslim families, is causing a
great havoc. There are families who cannot
afford to pay and yet they have been made *to*
pay, and the same misery, as it has been
narrated by my friend there, is there even in
these families. It is a matter of fact. You may
accept it or not.

SHRI J. S. BISHT: Sir, . . .

SHAH MOHAMAD UMAIR: With your
permission I will say one word because the
question of Muslim dowry has come in. My
lawyer friend has been interpreting it in a way
which is not correct. That is not the real
definition of dowry in the Muslim law. In
Saudi Arabia, no marriage can take place
unless the dowry is paid in cash.

DR. R. B. GOUR: In 80 per cent, of the
cases, they do not pay at all.

SHRI J. S. BISHT: I say that there should be
no exception at all. Whatever be its form,
there would be no harm. In any case, we are
only considering the evil of dowry as it is
prevalent mostly among Hindus now. The
question is that this House has deleted clause
4 and very rightly. What is sought to be done
is that this clause 4 is to be reinserted in the
Bill according to the Lok Sabha.

DR. R. B. GOUR: The Lok Sabha is right
also.

SHRI J. S. BISHT: I am arguing that. That
is the clause which says about demand. We at
that time omitted, for the cogent reason, that
it was almost impossible to bring any man to
book and it would cause malicious
prosecutions, harassments and blackmail.
There is no doubt about it.

As far as the operative part of it is
concerned, clause 3 says:

"If any person, after the commencement
of this Act, gives or takes or abets the
giving or taking of dowry, he shall be
punishable with imprisonment which may
extend to six months, or with fine which
may extend to five thousand rupees or with
both."

This is quite right. We agree and that is that
form in which we sent it. We made it more
stringent by adding 'directly or indirectly'
which they want to omit. I, therefore, quite
agree

with the Member who preceded me that the Bill, as passed by the Rajya Sabha, is the correct thing to do. These new insertions by the Lok Sabha are really wrong and that is why I was emphasising that in a court of law the word "demands" in clause 4 will create too much trouble. It should go.

As for the points raised by Shrimati Lakhanpal that in a marriage some people make a great display of wealth and make big presents and that it should be stopped, that is entirely a different matter as to whether it should be allowed or not but I feel that it was not either in the original Bill or in the Bill as modified by the Rajya Sabha or as it has come back from the Lok Sabha. If any display is to be stopped, let it be stopped. I have nothing to do with that but it has no relevance so far as this Bill is concerned.

So far as daughter's marriage is concerned, I think my friend said that 99 per cent, but I say 99.9 per cent, among the middle-class Hindus will not allow their daughters to go without some presents. You may call that present or anything but they will always be given that. The difficulty does not arise because of dowry. I want to state an opinion which has nothing to do with this Bill but which pertains to the basic thing. The trouble arises mostly among the educated middle-classes and it is not on account of dowry either. It is because the eligible bachelors are few in number and there is a race for them. How does this dowry come in? It is because there are so many girls to be married to eligible bachelors. Here is an officer in Government, maybe an I.A.S., or an IPS. or a Commissioned Officer or a Class I officer in the Central or State Services etc. There the difficulty comes in. Everybody is anxious to have the future of his daughter assured by having her married to somebody whose future is assured. There the parents themselves outbid each other and it is not bridegroom or the bride who does it. I want to

marry my daughter and he wants to marry his daughter and then whisperings go on.

SHRI M. GOVINDA REDDY (Mysore) : There are brokers also.

SHRI J. S. BISHT: Yes. That is where the trouble comes in. Most people who get angry about it do so because they are anxious to have very good eligible bachelors but they want to have the marriage for nothing. That is the trouble. Whatever law you pass is not going to solve it so easily. In practical life the race for eligible bachelors is very keen, not only in this country but in every country.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Maharashtra): Do you mean to say that the parents of the bridegroom are passive agents? It is only because of the impact of various offers that these things are happening?

SHRI J. S. BISHT: They may not be passive agents. Nobody wants to forego an opportunity to make some money. It is not God's gift that is so easily obtained. If a brilliant boy happens to be born in a family, probably the parents have devoted their lifetime in looking after him and his education. If they are anxious, they are only human beings with flesh and blood.

DR. R. B. GOUR: The daughters' parents also have done all that.

SHRI J. S. BISHT: I say that this is the background. We must have some solution for it and the only solution will come when we people get educated, when the parents have no hand in the marriages, that is to say, when there is love-marriage, that is, when the bridegroom selects his bride. That will be the only solution. Till the society rises to that level where there is such freedom when adults can marry of their own free will without regard to the opinions of their parents, these will go on. But in the vast country side today this is unthinkable. No bride will be allowed to mix with

[Shri J. S. Bisht.] any bridegroom. The girl will not be allowed to mix with boys because the opinion in the countryside is so rigid. Even the Sarada Act is a dead letter. Only three years back there were 10,000 marriages in Rajasthan in defiance of that Act.

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-NAND: Dowry-takers will be lawbreakers and they will be dismissed from Government service.

SHRI J. S. BISHT: Taking bribe is a very severe offence but has bribery stopped?

DR. SHRIMATI SEETA PARMA-NAND: To some extent.

SHRI J. S. BISHT: The only solution will be when there is advanced public opinion, when the people themselves realise that this evil must go. Then they will realise it and stop it. At that time the boys and girls who are to be married will not care for the consent of their parents and they will go out and marry themselves. I hope that solution will be coming with the rise of education when we have universal compulsory primary education and higher education as well. I hope public opinion also shifts upwards and all that takes a little time but we are always thinking in Parliament of shortcuts. We think of legislation and legislation as if the moment it is legislated, the whole thing is solved. Not at all. The thing remains as it is because legislation is the last step to be thought of just as in registration of a document. Before a contract is executed or registered, before a sale deed is registered, there is a long series of negotiations. Before the Indo-Pakis-tan treaty on Canal Waters was signed there were a series of negotiations when everything was finalised and then the treaty was signed.

SHRIMATI YASHODA REDDY: It is the educated boys who demand the dowry.

SHRI J. S. BISHT: When public opinion is sufficiently advanced, when 40

or 50 per cent, of the people are prepared to enforce it, then you legislate. Then it will be successful. If only 10 or 20 per cent, are prepared and 80 per cent, are not prepared, it becomes a dead letter. But in so far as this Bill is concerned . . .

SHRIMATI YASHODA REDDY: You say that education is the first step but unfortunately today it is the educated boys that demand higher prices. If one is a B.A., he demands Rs. 25,000, if he is an M.A., it is Rs. 30,000, if he is an officer, he demands Rs. 50,000. The price rises with education.

SHRI J. S. BISHT: The difficulty is that the girls are running after educated boys. It is the little dowry that tilts the balance.

SHRIMATI YASHODA REDDY: It is the intrinsic worth of the boys and girls that should tilt the balance, not the motives or incentives.

SHRI J. S. BISHT: I say to the hon. Lady Member with due respect that I entirely agree that this system should go. I come from a part of India where it is not observed. I consider it a shame but how does it happen? It is because public opinion there has been against this system. It is going on all right. Without any legislation it is 100 per cent, successful there. It does not need any legislation. But in those communities where it is prevalent, until public opinion rises to that level, mere legislation will not help you very much. In any case, as we are determined to have a law, let us have the law as passed by the Rajya Sabha here.

श्री शीलभद्र याजी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि डाउरी प्राहिबिशन बिल पर काफी बहस हो चुकी है। शुरू में हमारे जुगल किशोर जी ने इस बिल को सदन के सामने रखा था और उस वक्त से मैं समझता हूँ इस पर काफी बहस हो चुकी है और लोग यह महसूस करने लगे हैं कि डाउरी निषेध बिल का होना नितान्त आवश्यक है। हमारे देश में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं

जो पुराने खयाल के हैं। ये लोग यह समझते हैं हिन्दुस्तान की सम्प्रदाय में डाउरी लेना एक कर्तव्य है और उसी के आधार पर इस चीज की मुवालिफत करते हैं। वे लंग इस डाउरी बिल के बाल की खाल खींचते हैं। वे लोग साफ-साफ तो कुछ नहीं कहते हैं मगर तरह-तरह की खामियां निकालते हैं कि इस बिल में से यह धारा निकाल दी जानी चाहिये और वह हिस्सा निकाल देना चाहिये।

हमारे देश में इतने कानून बने हुए हैं लेकिन फिर भी जुर्म होते ही रहते हैं, हत्याएँ होती ही रहती हैं। लोग कहते हैं कि शारदा एकट पास हो गया लेकिन उससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस तरह के कानूनों से समाज में असर होता है। इसी तरह से दहेज के लिये जो कानून बनाया जा रहा है उसका भी समाज में कुछ न कुछ असर अवश्य होगा। मैंने जब से होश संभाला है तब से देखते आ रहा हूँ कि हजारों परिवार वाले इस दहेज की प्रथा से बरबाद हो गये हैं। जहाँ तक मिडिल क्लास वालों का सम्बन्ध है, जिस घर में चार भाई और चार बहनें हैं, वहाँ पर भाई दहेज देने की वजह से भीख मांगता है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, और यू० पी० में ज्यादा दहेज लेने की प्रथा है और इससे इन प्रान्तों के बहुत से गरीब परिवार वाले उजड़ गये हैं।

एक कानूनी सदस्य : गुजरात में भी है।

श्री शीलभद्र धाजी : यहाँ तो चालीस, पचास हजार और एक लाख में लड़के बिचते हैं लेकिन और प्रान्तों में इतना सौदा नहीं होता होगा। इससे समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। यह बहुत ही अकसोस की बात है कि आजादी के बाद देश में तरह-तरह के कानून बनाये गये, समाज में जितनी कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने के लिये सरकार की ओर से कानून बनाये गये, मगर इस बुराई की ओर

सरकार का और इस पार्लियामेंट का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। यह बड़े खेद की बात है।

यह जो बिल सिलेक्ट कमेटी से होकर लोक-सभा में गया और लोक-सभा द्वारा जो संशोधन सुझाये गये हैं और इस बिल का जो मसौदा है, उसका सब लंग समर्थन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ राज्य सभा में जिस रूप में यह बिल लाया गया है और लोक-सभा ने जो संशोधन इसमें किये हैं उन सब पर हम को विचार करना है। लोक-सभा में जो प्रतिनिधि हैं वे जनता के प्रतिनिधि हैं, राज्य सभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वे स्टेट असेम्बलीज द्वारा चुन कर आते हैं। अगर हम यह बहें कि हम सीजन्ड हैं तो इससे लोक-सभा के सदस्य बिगड़ जायेंगे। उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में जो बातें हमारे सामने रखी हैं उनके बारे में हमें आरम्भूमेंट देकर और वाजिब दलील देकर समझाना चाहिये। यह कहना नहीं चाहिये कि वे कम होशियार हैं और हम ज्यादा होशियार हैं। यह भी नहीं कहा जाना चाहिये कि दुनिया भर के जितने अपर चेम्बर हैं उनके सदस्य प्रोप्रेसिव होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रोप्रेसिव पार्टी के खयाल से, सोशलिस्टिक विचारों से सब प्रोप्रेसिव होते हैं। यहाँ हिन्दुस्तान में एक नई बात हो गई है। लोक-सभा के जो सदस्य हैं उनको सब से ज्यादा प्रोप्रेसिव होना चाहिये। लेकिन इस बिल में वे जो प्राविजिन लाये हैं उसके लिये हमें आरम्भूमेंट देकर समझाना चाहिये। हमने डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली सदस्यों का प्रयोग किया था, अगर इसे बिल में शब्द नहीं रखे जाते हैं तो यह बिल निरर्थक साबित होगा। जितनी बार यह बिल सदन में आयेगा उसका असर जनता में अवश्य होगा और वह समझने लगेगी कि दहेज देना एक बुरी बात है। यदि कानून की व्याख्या करें और यह देखें तो इससे उसकी जान ही निकल जाती है। लोक-सभा द्वारा बिल के स्पष्टीकरण में जो यह

[श्री शीलभद्र याजी]

शत लगा दी गई है कि शारी के वक्-कैश दिया जाता चाहिये, और नोटिफिकेशन देने चाहिये, अगर ये सब बातें कबल कर ली जाती हैं तो इस बिल की जान ही निकल जाती है।

इस बिल में हमारी यह कंमिशन हनी चाहिये कि उसके अच्छे से अच्छा बनाया जाये ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। यह बिल भी इसी रूप में आया है जिससे जनता यह महसूस करे कि समाज में दहेज की जो बुराई है वह जल्द से जल्द दूर हो जायेगी। सब लोग यह जानते हैं कि दहेज देने और लेने से नुकसान होता है। इस चीज को यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि यह बिल जल्द से जल्द दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना चाहिये ताकि जनता को इसका तत्काल फायदा हो। हमें लोक-सभा को कहना चाहिये कि इस बिल में जो डाइरेक्शंस और इन्डाइरेक्टली शब्द छोड़ दिये गये हैं उससे बहुत नुकसान होगा। इसमें शादी के वक्त कैश या अर्नमेंट देने की जो बात रखी गई है उससे भी जनता को नुकसान पहुंचने वाला है। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिये उनसे यह बहें कि अगर हम इस चीज को मंजूर करते हैं तो इस बिल की जान निकल जायेगी।

जो सदस्य पुराने खमालात के हैं और फंडामेंटल राइट्स की बात करके इस बिल की

मुवालिफत करना चाहते हैं वे व्यर्थ की बात करते हैं। दहेज देना, निजक देना, हाया देना और दूसरी चीजें देना क्या ये सब मौलिक अधिकार में आता है? ये सब गण्य बातें हैं। हमने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया और अब कल-कारखानों को अपने अधिकार में लेंगे। ये राजा-महाराजा तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात कह कर हर चीज में हावटा डालना चाहते थे।

मेरा तो यह कहना है कि अगर समाज से इस बुराई को दूर करना है तो हमारे पंडित नेहरू जी ने बम्बई में एक भाषण में यह कहा था कि अगर डाउरी सिस्टम को हमेशा के लिए समाज से खत्म करना है तो लड़के और लड़कियों में प्रेम की बात होनी चाहिये, मुहब्बत की बात होनी चाहिये। अगर इस तरह से लड़के और लड़कियों में प्रेम द्वारा शादी हुई तो यह दहेज की प्रथा सदा के लिये निर्मूल हो सकती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Are you likely to take more time?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Yes, Sir.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI ROHIT M. DAVE): Then you may continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Tuesday the 29th November, 1960.